

श्री नरेश यादव (बिहार) : मान्यवर, श्री जीवन राय द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के साथ जिस में कि एन.टी.सी. के मजदूरों के हित में समझौते को लागू करने का प्रश्न है, मैं इस से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, श्री जीवन राज तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस विषय में अपनी जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले वरना देश की एन.टी.सी. की जो मिले हैं, वे सब रुग्णावस्था में होकर बर्बाद हो जाएंगी और इससे देश की क्षति होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो इनकी मांग है, उसको सरकार गंभीरता से लेते हुए स्वीकार कर ले। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The House is now adjourned for lunch. It will reassemble at 2.05 P.M. to discuss the Motion of Thanks on the President's Address.

The House adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at nine minutes past two of the clock

THE VICE CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI) in the Chair.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के संसद के दोनो सदनो के सदस्यों को 20 फरवरी को किए गए संशोधन के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमेशा ही सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति को दर्शाता है। इस बार भी जो अभिभाषण हुआ है, उसमें उन्होंने सरकार का आने वाले दिनों में कौन-कौन से काम करने हैं, सरकार ने क्या किया, उसका एक चित्र सांसदों के सामने रखा है।

महोदय, संयुक्त मोर्चा की सरकार जून, 1996 को सत्ता में आई। उस सरकार के आने के बाद हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया। सच पूछिए तो संयुक्त मोर्चे की सरकार बनना ही देश के लिए एक प्रयोग है लेकिन प्रयोग तो बहुत दिनों से चल रहा है इस देश में। जब 1977 में

सरकार बनी थी, वह भी एक संयुक्त मोर्चे की ही सरकार थी। पश्चिम बंगाल में पिछले 20 बरसों से संयुक्त मोर्चे की ही सरकार चल रही है। पंजाब में संयुक्त मोर्चे की सरकार चल रही है। पंजाब में संयुक्त मोर्चे की सरकार चल रही है और ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भारतवर्ष में किसी राजनीतिक दल का एकाधिपत्य समाप्त होकर सांझेदारी की सरकार की चलेगी, ऐसी इस देश के नागरिकों की मानसिकता बन रही है। तो इस सरकार को चलाने के लिए जो हमारे सांझेदार दल हैं, सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हमें कामकाल को चलाने के लिए एक कार्यक्रम तय करना चाहिए और हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया जिसके हम "कॉमन मिनिमम प्रोग्राम" कहते हैं। उसमें देश के सामने ही लोगों ने यह बात रखी कि हमें क्या-क्या काम करना चाहिए। हमारी सरकार ने उसमें बताया कि कौन-कौन से काम हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

महोदय, हमारी संयुक्त मोर्चे की सरकार सोशल जस्टिस अर्थात् सामाजिक न्या के प्रति प्रतिबद्ध है और हम यह भी मानते हैं कि कोई भी देश सही मायने में तभी जीवित रह सकता है जब उस देश में सामाजिक न्याय हो। इसके साथ-साथ आर्थिक विकास भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि आर्थिक विकास के 2 पहलू होते हैं—पहला यह कि कृषि के क्षेत्र में विकास हो और दूसरा यह कि उद्योग के क्षेत्र में विकास हो। हमारी सरकार इसके प्रति जागरूक है और इसके लिए हम लोगों ने "सोशल जस्टिस विद ग्रोथ" का लक्ष्य रखा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।

महोदय, हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद इस देश में जो अर्थव्यवस्था चली है, उस अर्थव्यवस्था में काफी गड़बड़ाइयां होती गईं। आपको याद होगा कि इसी सदन में बहस हुई थी ब्लैक मनी के ऊपर। महोदय, दोहरी अर्थव्यवस्था हमारे देश में चल रही है, एक तो ब्लैक मनी की और दूसरी व्हाइट मनी की। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इसके लिए कुछ उपाय सुझाए थे कि ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट किया जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत से उपाय सुझाए थे कि ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट किया जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत से उपाय सुझाए थे। महोदय, जब तक प्रॉपर फिस्कल ट्रेनिंग न हो फिस्कल ऐक्सरसाइज न हो, तब तक सही मायनों में विकास नहीं होगा और किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमारी सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के 50 सालों के बाद भी हमारे देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रही है और वह विकास के किसी भी स्तर को छू नहीं सकी है। इसलिए हमारी सरकार के सामने सबसे मुख्य कार्यक्रम है एंटी पोवर्टी प्रोग्राम। हमने इसी

उद्देश्य को सामने रखकर काम करना शुरू किया है। पिछले साल आपने देखा कि बेसिक मिनिमम सर्विसेज को लेकर जुलाई 1996 में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी चीफ-मिनिस्टर्स शामिल हुए। हमने यह पाया कि आज भी हमारे देश में ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। हमारी सरकार ने यह कहा कि हम हर किसी को स्वास्थ्य, पीने का पानी, शिक्षा और न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे। पिछली सरकार ने उस काम को शुरू किया था, उसको हम चालू रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यह काम चालू है, हमारी सरकार इसको रह रही है। इसको हमने बेसिक मिनिमम प्रोग्राम के तहत रखा तथा इस साल उसके लिए बजटरी एलौटमेंट भी होगा। इसलिए राष्ट्रपति जी ने भी उसके बारे में कहा है। महोदय, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्तिकाल में चल रहे हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हो गया है वह हमारे सामने आएगा। तो नवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार प्राथमिकता देकर कौन-कौन सा काम करना चाहेगी, वह आपने एप्रोच पैपर में देखा होगा। उसमें देश का आर्थिक विकास सबसे पहला टारगेट है जिसमें कृषि व्यवस्था को सुधारा जाए और कृषि व्यवस्था को सुधारा जाए और कृषि व्यवस्था में विकास किया जाए, कृषि में लगे हुए जो लोग हैं जिनको हम मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स कहते हैं उनके लिए कुछ कार्यक्रम अपनाएंगे। जैसे एक तो हुआ है गंगा परियोजना। गंगा परियोजना में - ग्रामीण आंचल में आदिवासी हरिजनों के बीच में खास तौर से उनको सब्सडी भी दी जाएगी और लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा उनके जो खेत हैं निश्चित सिंचाई के अंदर उसको लाया जाएगा। इसकी एक विशेष परियोजना बनाई गई जो राज्य सरकार के द्वारा ही वह लागू की जाएगी और यह सब्सडी स्कीम होगी। तो इस तरह से हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी तय किया है जिसको राष्ट्रपति जी ने कहा भी है कि देश का कामकाल जो भी हो वह नीचे से आए क्योंकि वही सफल डेमोक्रेसी है जिसमें आम लोगों की भागीदारी हो, साधारण लोगों की भागीदारी हो, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी हो। केवल पार्लियामेंट और असेंबली में बैठकर हम सफल और सच्चे मायने में एक्ज्युअल डेमोक्रेसी, थ्रू रिफ्लेक्टेड डेमोक्रेसी हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आवश्यक है पंचायत से, लोकल बॉडी से लोगों को आगे लाना। मुझे इस बात से खुशी है कि पिछले दिनों इसी सदन में पंचायती राज्य विधेयक का संशोधन भी किया और वह पारित भी हुआ और लागू हो गया है जिसके जरिए ग्रीस रूट लेवल में भी दस लाख महिलाएं भी चुनकर आई है और सही ढंग से काम कर रही हैं। तो यह सरकार चाहती है कि विकास के जो भी

कामकाल हों उस कामकाल को पंचायतों के द्वारा ही लागू करवाया जाए ताकि सही मायने में जो डवलपमेंट की स्कीम बन रही हों उनको रियली परकुलेटिड हो जाए नीचे के स्तर तक और वहां तक विकास का काम चालू रहे एवं धीरे-धीरे समूचे पंचायत में जो विकास होगा तो उनपर भी ब्लैक डवलपड हो जाएगा, जिले में विकास होगा और जब जिले में विकास होगा और जब जिले में विकास होगा तो राज्यों का विकास होगा और देश भी विकसित होगा। तो यह हमारी मंशा है और उसी दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है।

महोदय, मैंने पहले कहा कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है, आजादी के पहले से ही चल रही है। आजादी के बाद धीरे-धीरे यह देखा गया है कि कुछ ठोस कामकाल के लिए, अर्थनीति को सुधारने के लिए पब्लिक सैक्टर चाहिए जो सरकार के कंट्रोल में रहे। वह भी हम लोगों ने चलाकर देखा। लगभग 44-45 वर्ष तक वह चला। लेकिन काल कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि इससे देश का सही मायने में विकास नहीं हो रहा था, आर्थिक विकास जितना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था। तो इसलिए 1991 में पिछली सरकार ने एक नई आर्थिक नीति, एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी जो उदारीकरण की नीति थी। दुनिया के बाजार के लिए हमने अपना दरवाजा खोल दिया, दुनिया के बाजार से हमारे यहां सामान आए और हमने भी अपना सामान दुनिया के बाजार में भेजा। सच पूछिए तो यह सारी दुनिया में अर्थनीति का एक नया दौर चला है, जिसको एक बाजार हो गई और इस तरह से काम चल रहा है। महोदय, हम लोगों ने देखा कि रूप एक बहुत बड़ा देश था, बहुत विकसित देश था। लेकिन किसत तरह से सही मायने में अपनी अर्थनीति को संचालन न करने के कारण वह अलग-अलग हो गए। उस देश के जो फेडरल स्टेट थे वह अलग-अलग हो गए। युनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया अलग-अलग हो गया। वे एक साथ बंधे जरूर हैं, लेकिन स्वतंत्र देश हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि भारतवर्ष में इसी तरह की स्थिति आए और इसलिए पिछले दिनों हमारी अर्थ-नीति का जो उदारीकरण किया गया था, उसमें जो कमियां रह गई थी, हम उनको दूर करना चाहते हैं ताकि इस देश में सही मायनों में विकास हो सके। महोदय, इस बारे में लोगों के मन में शंका है। लोग कहते हैं कि इस उदारीकरण में जो नए मालिक होते हैं और खासकर जो विदेशी पूंजीपति हैं, वे इस देश के क्षमिकों को सही मायनों में काम नहीं देंगे या जो हमारी लेबर फोर्स हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। यह शंका बहुत लोगों के मन में है। व्यक्तिगत रूप से कभी-कभी मुझे

लगता है कि शायद यह सही है लेकिन जब हम दुनिया की तरफ नजर दौड़ाते हैं जो लगता है कि आज इसके बगैर कोई उपाय नहीं है क्योंकि दुनिया के बाजार में भारत अकेला नहीं रह सकता। दुनिया के बाजार में भारत को सबके साथ मिलकर, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और आर्थिक विकास करना होगा। इसलिए हमारी सरकार ने नयी संरचना को है। पिछले दिनों कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने कुछ नए कार्यक्रम अपनाए हैं और उसके तहत हम लोगों ने यह कहा है कि बाहर से हम पूंजी लेंगे।

महोदय, विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज हैं पावर यानी ऐनर्जी। इसके बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई कारखाना नहीं चल सकता। तो प्रगति के पथ पर सबसे पहला फैक्टर है पावर। चूंकि हमारी सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं और हम अपने लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाना चाहते। आखिर सरकार के पास जो पैसा आता है वह अपने देश के नागरिकों के ऊपर टैक्स लगाकर ही आता है। तो कितना टैक्स का बोझ हम अपने नागरिकों पर बढ़ाएंगे? इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पावर सैक्टर में हम विदेशी पूंजीपतियों को बुलाएं और वे यहां आकर सैक्टर में काम करें। उसी के साथ-साथ और इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके लिए भी हमने विदेशी पूंजीपतियों को निमंत्रण दिया है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे निमंत्रण से कई देशों में अच्छा अगर हुआ है। वैसे तो दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन गई है लेकिन हम छोटे-छोटे कुनबों में भी बंटे हुए हैं—जैसे सार्क कंट्रीज हैं, एसियान कंट्रीज हैं, ऐशिया-पैसिफिक रीजन हैं। एसियान कंट्रीज के जो विकसित देश हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलकर व्यापार करना शुरू किया। खासकर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों का ज्वाइंट वेंचर हिंदुस्तान के साथ चल रहा है। केवल थाईलैंड के 30 ज्वाइंट वेंचर हिंदुस्तान में चल रहे हैं।

महोदय, हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। एक तो पावर सैक्टर में हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे यहां सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं हैं। तो हमें सड़कों का भी विकास करना होगा। रेलवे का भी विकास करना होगा। टेलीकम्युनिकेशन का भी विकास करना होगा। पोर्ट्स का भी हमें विकास करना होगा। इसके लिए युनाइटेड फंड की सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सड़क निर्माण के लिए हमारी सरकार ने नेशनल हाइवे कंस्ट्रक्शन संबंधी कानूनों में कुछ ढिलाई की है और हमने कहा है कि अगर कोई विदेशी पूंजीपति या स्वदेशी पूंजीपति इस क्षेत्र में

अपनी पूंजी लगाना चाहें, तो वह लगा सकता है। हमने इस बात के लिए इजाजत दी है। भारत का रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। और भारत का रेलवे अब तक खास-खास इलाकों में ही लगा हुआ था, संबंधित था। हमारी सरकार ने पहली बार फैसला किया है कि हम ग्रामीण अंचल, पिछले इलाको, ट्राइबल इलाको, पूर्वांचल इलाकों और कश्मीर के इलाकों में रेलवे का जाल बिछा देंगे ताकि वहां के लोगों का यह महसूस नहीं हो कि हम भारत के बाहर हैं। अब तक जो शिकायतें आती रही, वह यह थी कि पूर्वांचल का सही मायने में देश के साथ समन्वय नहीं किया गया, वह अपने को बाहर समझते रहे, अछूत समझते रहे। कश्मीरी लोग यह समझते रहे कि हमारे प्रति सही निगाह नहीं गयी, हमारा विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं रेलवे मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं खासकर हमारे रेलवे मंत्री श्री राम विलास पासवान जी को जिन्होंने आगे बढ़कर इस काम को किया और बढ़कर इस काम को किया और कहा कि देश के विकास में जो पिछड़े इलाके हैं, अविकसित इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, उन सभी इलाकों को जोड़ना है और अगर जरूरत हुई तो हम इसके लिए विदेश से भी पूंजी लेंगे।

टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूं। इस पर इस सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन टेली कम्युनिकेशन आज सबसे आवश्यक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। इसके जरिए यहां बैठकर आप कहीं भी संदेशा भेज सकते हैं और आपको कहीं से भी संदेशा मिल सकता है। अगर हमें दुनिया के पैमाने पर कंपीट करना है, विकास करना है तो टेली कम्युनिकेशन एक बहुत आवश्यक सिस्टम है और अगर हर घर में हम टेलीफोन पहुंचा पाएं, टेली कम्युनिकेशन का इंतजाम कर पाएं जो यह बहुत बड़ी बात होगी। हर घर में तो शायद पहुंचाना मुश्किल हो लेकिन अगर हर पंचायत में भी यह सेवा पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। हमारा प्रयास इस संबंध में भी है। महोदय, खुशी की बात है कि भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी करने की इच्छा जाहिर की है और 15 मिलियन यू.एस. डालर के इनवैस्टमेंट बात काफी हद तक हो भी चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले पांच साल के अंदर दो सौ यू.एस. बिलियन डॉलर का इनवैस्टमेंट होगा चारों तरफ से यह इनवैस्टमेंट होगा, यह हम उम्मीद करते हैं। हम एक सही तरह का वातावरण इस देश में तैयार नहीं कर पाए थे। पिछले दिनों उदारीकरण के बाद जितनी हमारी ऐक्सपेक्टेड थी। उतना लागू नहीं हो पाया लेकिन अब लागू होने की संभावना बढ़ गयी है। हमने यह वातावरण

इसलिए तैयार किया ताकि यह काम हो सके। पिछले दिनों प्रधान मंत्री दाबोस गये थे। वहां पर उन्होंने दुनिया के व्यापारी के व्यापारी वर्ग, इंडस्ट्रीयलिस्ट्स के सामने जो बातें कही, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी बाहर पूंजीपति भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए आएंगे, उनको हम सुविधाएं देंगे तो उससे वातावरण में परिवर्तन आया है। सिंगलविंडो सिस्टम वगैरह करने की बात हुई है। इस तरह से यहां एक औद्योगिक वातावरण, औद्योगिक परिवर्तन का वातावरण बन रहा है। इस तरह से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि प्रति वर्ष 10 बिलियन डॉलर की यहां खपत हो सकती है और उससे विकास का काम हो सकता है। तो यह हमारा टारगेट है।

महोदय, मैंने आपको पॉवर सैक्टर और ट्रांसपोर्ट सैक्टर के बारे में कहा। इन सैक्टरों में जब तक विकास नहीं होगा, तब तक देश आगे बढ़ नहीं सकता।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ऑयल पूल डेफिसिट के बारे में बताया। मैं इस संबंध में केवल दो-चार बातें कहना चाहूंगी। यह सही है कि ऑयल पूल डेफिसिट 31 मार्च तक साढ़े पंद्रह हजार करोड़ तक पहुंचते की संभावना है। अब यह डेफिसिट क्यों बढ़ा है, क्यों हुआ है, इस पर हम सदन में पहले चर्चा कर चुके हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि चूंकि हमारे देश में जितनी हमारे पैट्रोलियम पदार्थों की खपत है, उतना उत्पादन नहीं हो पाता है और हमें मजबूर होकर दुनिया के बाजार से पैट्रोलियम पदार्थ खरीदने पड़ते हैं, ज्यादा कीमत देकर हम वह खरीदते हैं। चूंकि हमारे देश की जनता की क्रय शक्ति कम है, इसलिए हम उसे सब्सिडाइज्ड रेट पर बेचते हैं। इसी तरह से ऑयल पूल में घाटा बढ़ता जाता है। तेल कम्पनियों को बहुत घाटा इस संदर्भ में हुआ है। जैसे आईओसी को 31 मार्च, 1997 तक घाटे का जो अन्देशा है वह 9 हजार करोड़ का, एचपीसी का 1800 करोड़ का बीपीएस को 1300 करोड़ का, एमआरएल को 300 करोड़ का, सीआरएल को 320 करोड़ का, बीआरपीएल को 100 करोड़ का, आईबीपी को 140 करोड़ का, ओएनजीसी को 1800 करोड़ का एम आर पी एल और अन्यो को 710 करोड़ का है। इस प्रकार कुल मिलाकर साढ़े पन्द्रह हजार करोड़ के घाटे का अंदेशा है।

महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हम बाहर से जिस दाम पर तेल खरीदते हैं और अपने देश में जो तेल का उत्पादन होता है उसकी जो कीमत ग्राहकों से सरकार को मिलती चाहिए वह कीमत हम नहीं लेते हैं। हम इसको सब्सिडाइज्ड रेट पर बेचते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार को कितनी सबसिडी इस पर देनी पड़ती है।

हाई स्पीड डीजल पर सबसिडी के कारण जो घाटा है वह 8,340 करोड़ का है। केरोसीन ऑयल के डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए 6,350 करोड़ की सबसिडी है। एलपीली भी हाईली सबसिडाइज्ड है, उसमें 1950 करोड़, नाफ्ता जो फर्टीलाइजर में इस्तेमाल होता है उस पर 980 करोड़ की सबसिडी है। ऐको जो फर्टीलाइजर में इस्तेमाल होता है उस पर 390 करोड़ एलएसएचए यह भी फर्टीलाइजर में इस्तेमाल होता है उस पर 200 करोड़, वीटूमिन पर 190 करोड़, गोंद वैक्स के लिए 40 करोड़ की सबसिडी है। इस तरह से 18,440 करोड़ सरकार को सबसिडाइज्ड रेट में देने पड़ते हैं। यह विचित्र स्थिति है। सरकार ने नई आर्थिक औद्योगिक नीति के तहत तेल कम्पनियों से कहा है कि हमारे पास आपको पैसा देने के लिए नहीं इसलिए आप बाजार से पैसे की उगाही करो और तेल कम्पनियां बाहर से पैसे की उगाही कर रही हैं। इस तरह से वे अपना काम चला रही हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रही हैं।

मैंने अभी फर्टीलाइजर के बारे में चर्चा की और इसी सदन में फर्टीलाइजर के बारे में कृषि मंत्री जी ने एक बयान भी दिया, उस पर मैं विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने उस दिन इस पर काफी बहस भी की उनसे। इस देश का एक प्राचीनतम उद्योग चीनी उद्योग है और वह है कृषि उद्योग। कृषि के साथ-साथ जुड़ा हुआ है गन्ने का उद्योग और चीनी का उद्योग। चीनी का उद्योग इस सटी के शुरू में चालू हुआ था और अलग-अलग प्रान्तों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और बाद में महाराष्ट्र वगैरह में चालू हुआ। हम लोगों को जानकारी है कि यह सब कारखाने पुराने पड़ गये हैं और प्रन्तों की ओर से नये कारखाने लगाने की मांग काफी जोर-शोर से की जा रही है। उस संबंध में सरकार ने एक नीति भी अपनाई है कि हम नये गन्ने के कारखाने लगायेंगे और लाइसेंस प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन किया है। पहले नया कारखाना लगाने कि लिए पुराने कारखाने हैं 25 किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक थी लेकिन अब केवल 15 किलोमीटर की दूरी तक नया कारखाना लगाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस नये परिवर्तन से काफी लोगों को राहत मिलेगी, खासकर गन्ना किसानों को क्योंकि उनको अपना गन्ना सप्लाई के लिए दूर तक नहीं ले जाना पड़ेगा। नये गन्ने के कारखाने लगने से पुराने कारखानों की मरम्मत या माडर्नाइजेशन प्रोसेस भी चालू हो सकेगा। साथ ही साथ नये कारखानों से किसानों के गन्ने की खपत भी हो जाएगी। गन्ना एक ऐसी चीज है जिससे हम कभी-कभी विदेशी मुद्रा का उर्पाजन करते हैं इसलिए यह बहुत आवश्यक

कृषि जनित उद्योग हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध हैं।

महोदय, मेरा गंगा कल्याण योजना के बारे में कहना है कि ग्रामीण अंचलों में जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, यह उनके विकास के बारे में काम करेगी, आदिवासी और हरिजनों के लिए काम करेगी।

एक नया कार्यक्रम हमारी सरकार करना चाहती है तो हमारे मिनिमम प्रोग्राम में भी हैं वह हैं इंप्लायमेंट इश्योरेंस का। यह पहले 1778 ब्लाकों में चालू था। अब उसको आगे बढ़ाकर और नये 2246 ब्लाकों में इसको चालू किया जाएगा। यह 4,024 यानी करीब-करीब टोटल ब्लाक्स में चालू होगा। इसमें 100 दिन का काम मिलेगा निश्चितरूप से। तो गरीबों के प्रति हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके तहत इस काम को किया गया है। जिनको काम नहीं मिलता है उनको यह काम मिलेगा या ग्रामीण अंचल में कृषि जनित प्रयोग के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको हमने देख है कि कृषि का काम 6 महीने चलता है। बाकी 6 महीने उन लोगों के हाथ में कोई काम नहीं होता है और वे भुखमरी के कगार पर होते हैं। इसके कारण माइग्रेशन आफ लेबर भी बड़े पैमाने पर शहरों में हो जाता है। इसके कारण शहरों पर दबाव बढ़ता है और जो लोग गांवों से आते हैं उनकी हालत यह होती है कि वे सड़क के किनारे पर रहते हैं, स्लम में रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी हमारी सरकार ने यह योजना बनाई है ताकि ग्रामीण अंचल में उन लोगों को काम मिलना शुरू हो जाए और ग्रामों का विकास हो। इससे गांवों का विकास होगा, ब्लाक्स का डेवलपमेंट होगा और शहरों में माइग्रेशन आफ लेबर के कारण उन पर जो दबाव पड़ता है वह दबाव नहीं होगा। इसलिए हमारी सरकार ने यह योजना बनाई है जिसके लिए वह प्रतिबद्ध है वह हम लोग करने जा रहे हैं।

महोदय, पिछले सत्र में हमारी सरकार ने अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं- इस देश में लगभग 25-30 करोड़ कृषि मजदूर भी हैं। उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उनके कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं उसी के तहत हमने पिछले दिनों बिल्लिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वरकर्स कंडीशंस आफ सर्विस इम्प्लायमेंट बिल पारित किया था। यह अगस्त 1976 में किया था। इससे करीब 9 लाख 10 कंस्ट्रक्शन वक्र में लग हुए श्रमिकों का कल्याण हुआ।

हमारे जो बीड़ी वरकर्स हैं, उनके लिए भी कानून बना हुआ है। इसके अन्तर्गत बीड़ी श्रमिकों को आइडेंटिकार्ड

मिलेगा। जो अभी तक यह हो नहीं पाया है। हमारी सरकार इस मामले में भी प्रतिबद्ध है। वह चाहती है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर ले ताकि बीड़ी उद्योग में लगे हुए जो श्रमिक हैं, जिनको टी.बी. वगैरह हो जाती है उनको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों का लाभ मिले। इसलिए इस काम को तेजी से करने का हम लोगों ने मेजर अपनाया है हमारी सरकार इसको जल्दी करेगी।

महोदय, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिन्दुस्तान में लगभग चार करोड़ बाल श्रमिक हैं। अगर सचमुच में देखा जाए तो इससे ज्यादा ही होंगे लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़ों को मान लें तो यह बाल श्रमिक जो हैं, किसी के मां-बाप नहीं चाहते कि उनके छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के, 6 साल के बच्चे काम करने के लिए जाएं। उन्हें काम करने बाहर भेजना पड़े। उनको मजबूरन भेजना पड़ता है, आर्थिक दुर्दशा के कारण। दुनिया के बाजार में इस बात को लेकर बहुत शोर-शराबा है। हमारे यहां कारपेट इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर बच्चे लगे हुए हैं तो दुनिया बाजार में हल्ला होने लगा कि जब तक कारपेट में यह मोहर न लग जाए कि इसमें माइन बच्चे बाल श्रमिक नहीं लगे हुए हैं तब तक इनको न खरीद जाए। 300 करोड़ रुपया सालाना कारपेट इंडस्ट्री से देश को आमदनी होती है। तो भारत सरकार ने इस दिशा में भी जागरूक होकर यह कहा कि यह जो बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हैजार्डियस प्रोडक्शन में जो बच्चे लगे हुए हैं, जैसे कि आतिशबाजी इंडस्ट्री, या चूड़ी उद्योग, फैजाबाद में जो बच्चे लगे हुए हैं वहां पर उनके साथ किस तरह की ज्यादतियां होती हैं इसको भी बारम्बार देश ने और आई.एल.ओ. ने कई बार उजागर किया है। महोदय, इस मामले में भी सरकार जागरूक है और इस समस्या से सरकार निपटना चाहती है। ऐसे बच्चों के रीहैबिलिटेशन के लिए जिनकी समुचित व्यवस्था सरकार कर रही है, उनकी शिक्षा, उनकी रोजी-रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने का काम कर रही है ताकि बड़े होकर वह इज्जत और ईमानदारी की रोटी कमा सके और सही मायनों में देश के अच्छे नागरिक बन सकें। इसके लिए भी हमारी सरकार कदम उठा रही है। चाइल्ड लेबर को भी दूर करने के लिए हम ज्यादा जागरूक हैं।

महोदय, मैंने अभी चर्चा की थी, वेलफेयर स्कीम के बारे में, वीकर सेक्शन आफ सोसाइटी के बारे में। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट कमेटी बनाई है और इसमें शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स, माइनारिटी के डेवलपमेंट की

बात की जा रही हैं। पहले पहल कोई इस तरह की कमेटी बनी है। जो खासकर के शैड्यूल्स ट्राइब्स की समस्याएं हैं, उनके बारे में देखभाल करेगी और समुचित कदम उठाने के लिए रास्ता सुझायेगी ताकि हम आगे बढ़ कर काम कर सकें।

महोदय, अगर मैं विदेश नीति पर थोड़ी सी चर्चा नहीं करूंगी तो मुझे लगता है कि मेरी बात सही नहीं होगी। मैं यह कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष ने शुरू से ही एक ऐसी विदेश नीति अपना रखी है जिसमें अपने देश की महत्ता, अपने देश की प्रायर्टी सोच कर ही रखी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने 7 सितम्बर, 1946 को एज़ वाइस प्रेज़ीडेंट आफ इंटेरिम गवर्नमेंट कहा था।

"We shall take full part in international conferences as a free nation with our own policy. We have to develop close and direct contacts with other nations and to co-operate with them in furtherance of world peace and freedom."

यह हमारा आधार है। पंडित जी ने यह कहा था। उसी आधारशिला के ऊपर हम लोगों ने इस देश की विदेशी नीति का निर्माण किया। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री बढ़ाने का काम किया है और दुनिया के पैमाने पर सब के साथ हमारा मैत्री का हाथ बढ़ा हुआ है, हम न किसी गुट में हैं और किसी गुट के खिलाफ हैं। हम सब के साथ मैत्री रखना चाहते हैं। दुनिया में जो दो खेमे बने हुए थे, आम्ने-सामने थे जो उस समय हम लोगों ने एक खेमा और बनाया था जिसको हम कहते हैं नॉन-अलाइंड कंट्रीज़ जो न तो नाटो पावर के साथ था और न ही दुनिया का जो आज सबसे ताकतवर देश अमरीका है उसके साथ था। हम लोगों ने नॉन अलाइंड इसलिए खड़ा किया था इस देश में उस समय भी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, इसका श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने कहा था कि नॉन अलाइंड देश दोनों खेमों से अलग रहें, हम लोगों ने एक तृतीय खेमा बना कर जो अविकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, अपने विकास के बारे में बात करें, अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। युगोस्लाविया में मार्शल टीटो जब जीवित थे उस वक्त युगोस्लाविया में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। दो साल पहले जब मैं वहां गई थी तो मुझे वह जगह देखने का मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसमें लिखा हुआ है-

"The First Conference was held in this Hall."

आज भी एन.ए.एम. जो संगठन हैं, उसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आज दुनिया में आर्थिक रूप से अलग अलग अपने पड़ोसी देशों के साथ ग्रुप बना हुआ है और भी तरह तरह के अलग-अलग ग्रुप अपने अपने विकास के लिए बन रहे हैं। हम भी उसमें हैं क्योंकि हम अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक संबंधों के लिए पिछले दिनों जो कुछ काम हुआ है, वह बहुत सराहनीय काम हुआ है। जैसे बंगलादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे का समझौता। पिछले 25 वर्ष से यह सवाल चला आ रहा था, दोनों देशों के संबंध बिगड़ रहे थे। मुझे याद है पिछले दिनों दिल्ली में जब स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस की कान्फ्रेंस हुई थी तब उनका एक मंत्री आया था। विद्या चरण शुक्ल जी तब जल संसाधन मंत्री थे। उसने कहा था कि उनके यहां खाना कैसे खायेंगे, चलों खाना तो खाने जाएंगे लेकिन पानी नहीं पीयेंगे क्योंकि वह हमें पानी नहीं दे रहा है। हालांकि मज़ाक में कह रहे थे लेकिन मन को तकलीफ तो होती है क्योंकि वह इसलिए यह बात कह रहे थे। 25 साल के बाद यह समझौता हुआ गंगा जल के बंटवारे का समझौता। इससे हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे मैत्री संबंध सुदृढ़ हुए हैं। नेपाल के साथ महाकाली समझौता हुआ। महाकाली नहीं के जल के बंटवारे का समझौता हुआ। इससे नेपाल का विकास होगा और हमारा भी लाभ होगा यह बहुत अच्छा काम हुआ है। तीसरा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि अभी अभी हमारे विदेश मंत्री ईरान गए थे। उनके साथ भी व्यापारिक समझौता हुआ। हम हर किसी के साथ संबंध अच्छा करना चाहते हैं। इज़राइल के साथ हमारा कोई मैत्री संबंध नहीं था। हमारा कोई संबंध नहीं था, केवल व्यापारिक संबंध था लेकिन उसमें भी पिछले दिनों सुधार हुआ और हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ा है। हम लोग अब डिप्लोमेटिक एक्सचेंज करते हैं। हमारी अरब वर्ल्ड के साथ भी मैत्री है और साथ ही साथ दूसरे अन्य देशों के साथ भी मैत्री संबंध बढ़ रहा है। इससे भारत की स्थिति सुदृढ़ होती है।

एक सवाल सीटीबीटी का है। जब हमारे विदेश मंत्री गुजराल साहब ने सीटीबीटी के बारे में बयान दिया, न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन ट्रीटी के बारे में, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में तो पूरे सदन ने एक राय होकर कहा था - We are with you. The nation is with you. कुछ विकसित देश अपने हाथ में सारी न्यूक्लियर पावर रखे हुए हैं और हमारे जैसे जो देश हैं विकासशील देश उनको कहते हैं कि तुम तो खत्म करो अपनी न्यूक्लियर

पावर लेकिन हम रखेंगे अपन हाथ मैं लेकिन यह संभव नहीं हैं। इसके लिए हम लोगों ने कहा-

No, we do not agree with your proposal.

आप भी अपना खत्म करो हम भी अपना खत्म करेंगे। We keep ourselves open. कभी कभी लोगों ने बाद में कहा कि यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी एफ सीट चली गयी। कहा कि अगर हम सीटीबीटी में मामले में इतना कट्टर नहीं होते तो शायद यह सीट नहीं जाती। लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट उतनी बड़ी नहीं है जितना भारत की सुरक्षा बड़ी है और भारत की सुरक्षा को किसी हालत में हम दांव पर नहीं लगा सकते हैं। भारत के विकास को हम किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकते हैं। किसी के डिक्लेशन पर हम नहीं चलेंगे और पूरे देश ने इस बात को कबूल किया था और साथ दिया था। तो मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि बहुत ही सही काम हुआ।

महोदय, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हैं। अभी हाल में फरवरी में वहां चुनाव हुआ। हर चुनाव में पाकिस्तान में एक मुद्दा होता था कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ता कैसा हो। India has been an issue in the Pakistan elections.

फरवरी, 1997 का जो इलेक्शन हुआ, for the first time India was not an issue. उन्होंने अपने आर्थिक मुद्दे पर चुनाव लड़ा, करप्शन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। भारत उनका इश्यू नहीं था और जो नये प्रधान करने के साथ कहा कि हम भारत के साथ संबंध को सुधारना चाहते हैं। हमारे भी विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री में कहा कि हम भी अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। Let us sit and talk together. शिमला समझौते के साथ हम बात करेंगे। काश्मीर के बारे में हम बात नहीं करेंगे।

Kashmir is an integral part of India.

महोदय, इससे पता चलता है कि विदेश नीति के तहत, विदेश नीति के मामले पर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने जो हमारी विदेश नीति चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाया और इस देश की दुनिया के पैमाने पर स्थिति को और भी सुदृढ़ किया है।

हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है। हमारी नीति यह है कि हम किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन जनता को अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसमें हमसे जो बन पड़ेगा वह

| मदद हम करेंगे to mitigate their other problems. हैलथ प्रब्लम हो, खाना करेंगे। लेकिन पोलिटिकल मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह हमारी घोषित नीति, भारत की घोषित नीति है उसको भी हम फालों कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इमीडिएट नेबर्स के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी सबसे बड़ा देश चीन है। पहले सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी सबसे बड़ा देश चीन है। पहले पहल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के समय चीन के राष्ट्रपति कामरेड जियांग झेमिन आए थे और उन्होंने भी कहा था कि हम भारत के साथ मैत्री संबंध बढ़ाना चाहते हैं। हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम दोनों की प्रगति चाहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए यूनाइटेड फ्रंट सरकार के लिए this has been a glorious chapter.

इन बातों के साथ मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा देश चाहे अंदरूनी मामले हों चाहे बाहर के मामले की सही और सफल दिशा में चल रहा है। महोदय, एक दो बातें और मैं कहूंगी। वे यह हैं कि काश्मीर में पिछले सात साल से इलेक्शन नहीं हुआ था। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि काश्मीर में शांतिपूर्ण इलेक्शन हो भी सकता है। इलेक्शन कमीशन के मन में भी संदेह था। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, लोकतंत्र की पुनः स्थापना होनी चाहिए। चुनी हुई विधान सभाएं बन जानी ही चाहिए ताकि पीपुल्स पर्सिपेशन पूरा हो, लोगों के एस्पिरेशंस पूरे हो, एलीनिशन ऑफ द स्टेट नहीं हो। तो चुनाव हुआ। हम लोगों ने देखा 50 से 60 प्रतिशत लोगों ने, आम जनता ने वोट दिया और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। उस चुनाव को देखने वर्ल्ड कम्युनिटी के लोग आए थे। कहीं कोई अशांति नहीं। चुनी हुई बहुमत की सरकार आज काश्मीर में राज कर रही है। नेहरू जी काश्मीर से आए थे और इलाहाबाद में बसे हुए थे। उकन परिवार मूल कश्मीरी पंडित का था। लेकिन देवेगौड़ा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वह एक ऐसे प्रधान मंत्री हैं जो इस खतरनाक स्थिति में लोगों के मना करने के बावजूद भी काश्मीर गए और उन्होंने काश्मीर की हालत को देखा और समझा कि क्यों काश्मीर अलग हो रहा है। क्यों काश्मीर के नौजवान नाराज़ हैं। क्यों कोई हथियार उठाता है। कोई खुशी से हथियार नहीं उठाता है। क्योंकि जो हथियार दूसरे के मारने के लिए इस्तेमान किया जाता है उस हथियार की गोली से वह खुद भी मरता है। कोई हथियार क्यों उठाता है? हथियार उठाता है बेकारी के कारण, हथियार उठाता है भुखमरी के कारण। ठीक है उसमें कुछ हद तक डामेटिज्म भी कही-कही जाता है, लेकिन भुखमरी और बेकारी जहां

होती हैं वहीं पर यह डाम्मेटिज्म का पाठ पढ़ाया जा सकता है। वहां की तरह-तरह की बात कह कर उनको उलझाया जा सकता है और काश्मीरी नौजवानों को जब तक सही मायने में सामाजिक आर्थिक स्थान नहीं मिलेगा, काश्मीरी नौजवान सन्तुष्ट नहीं होंगे। इस बात को हमारी सरकार ने समझा और उन्होंने आर्थिक पैकेज दिया उनको डिवैलपमेंट के लिए पैकेज दिया कि तुम जाओ, तुम इस देश का हिस्सा हो, तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे नागरिक हो, तुम हमारे साथ हाथ में साथ मिलाकर काम करो। इस देश को आगे बढ़ाओ, अपने प्रांत को आगे बढ़ाओ, उद्योगों की स्थापना करो और काश्मीर को फिर से वह स्वर्ग बनाओ जैसा काश्मीर था।।...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान) : काश्मीर पैकेज से हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु पी.ओ. के. उनको मत दें देना। पॉक ऑकूपाइड काश्मीर, जैसा कि अखबार में आ रहा है।

श्रीमती कमला सिन्हा : आप बैठिए।

श्री सतीश अग्रवाल : आपकी क्या राय है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चुर्वेदी) : उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती कमला सिन्हा : तो यह मैंने काश्मीर के बारे में कहा। रेलवे के बारे में मैंने कहा कि काश्मीर तक रेलवे लाइन पहुंचाने की बात हो रही है। विकास की बात हो रही है और दूसरी बात नॉर्थ-ईस्ट की है। इस देश में पिछले दिनों में उस चर्चा में नहीं जाना चाहती कि क्यों ऐसा हुआ, आज स्थिति यह है कि पूर्वांचल में अलग-अलग जगहों में परेशानी की हालत है। हर किसी को अपनी-अपनी स्टेट चाहिए। छोटी-छोटी स्टेट चाहिए और उसके लिए संघर्ष जारी है। मार-काट जारी है। उसके पीछे भी एक कारण है पूर्वांचल के विकास का समुचित विकास का रास्ता नहीं खोलना। पूरे भारतवर्ष का विकास होना चाहिए। मेरे महाराष्ट्र के साथी नाराज नहीं होंगे महाराष्ट्र में विकास हो, मद्रास में विकास हो, गुजरात में विकास हो तो नॉर्थ-ईस्ट में क्यों नहीं विकास होगा ? नॉर्थ-ईस्ट के बच्चे पढ़-लिख गए तो उनको कहना पड़ता है कि गिव अस ऐ स्टेट। हमें अपनी-अपनी स्टेट दो। हम अपना विकास अपने आप करेंगे और उसके लिए वे हथियार उठाते हैं। तो इस हालत को भी सुधारने के लिए प्रधान मंत्री जी वहां बारम्बार गए हैं और नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए उन्होंने पैकेज डील किया है। उन्होंने पैकेज दिया है विकास के लिए अलग-अलग दिशा में अलग-अलग काम करने के लिए और जहां रेलवे लाइन नहीं पहुंचती थी वहां भी

रेलवे लाइन पहुंचाने की बात हो रही है। अगले बजट सत्र में संभवतः वह तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे रेल मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, तो यह होगा।

महोदय, पिछले दिनों में नॉर्थ-ईस्ट गई थी। नॉर्थ-ईस्ट भी ठीक से सड़क से जुड़ा हुआ नहीं। आकाश मार्ग से भी ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है। रेलवे लाइन तो दीमापुर तक ही खत्म हो जाती है। आप अगर प्वायंट टू प्वायंट जाना चाहें तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो उस समय हम लोगों ने सरकार पदाधिकारियों को पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था। नॉर्थ-ईस्ट के लिए ईजीएस्ट होना चाहिए आने-जाने की सुविधा होनी चाहिए तो यह क्यों नहीं है। आप नॉर्थ-ईस्ट के साथियों को पूछिए। वे बतायेंगे कि जिनको आइजोल जाना होगा या दीमापुर जाना होगा वे कैसे जाते हैं और किस परेशानी से जाते हैं ? मणीपुर जाना हो, इम्फाल जाना हो तो पहुंच ही नहीं सकता एक दिन में। उसको दो दिन लगाने पड़ेंगे। तो यह विचित्र स्थिति है। आखिर वह भी हमारे देश का हिस्सा है, हमारी सरहद का इलाका है और ज्यादा सेंसिटिव इलाका है—*and we are aware of the fact.* इसलिए भारत सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है ताकि नॉर्थ-ईस्ट का प्रॉपर एसिमिलेशन हमारे साथ, देश के साथ हो सके।

महोदय, पिछले दिनों सदन में भी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की चर्चा होती रही है कि अलग-अलग प्रांतों के साथ हमारा रिश्ता क्या हों ? हमारे यहां एक इंटर-स्टेट काउंसिल बनी हुई है, लेकिन जिस ढंग से उसे काम करना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में 6 साल के बाद इंटर-स्टेट काउंसिल की बैठक हुई थी। हमारी सरकार चाहती हूं चूंकि इंडिया एक फेडरल स्टेट है और हमारी फेडरल स्टेट का जो ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस में हर प्रांत अपना सही रोज अदा करे, इसके लिए हम सभी बैठकर एक साथ इंटर-स्टेट काउंसिल के तहत विचार करें कि हमारे प्रांत कैसे अपना विकास करे क्योंकि जब हर प्रांत कैसे अपना विकास करे क्योंकि जब हर प्रांत का समुचित विकास होगा, वह आगे बढ़ेगा, राज्यों की समस्याओं का समाधान होगा तभी भारतवर्ष विकास कर सकता है। सब को साथ लेकर चलना है। इसके लिए हमारी सरकार जागरूक है और सही कदम उठा रही है।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा हमारी सरकार स्पेशल जस्टिक की सरकार है, गरीबी के प्रति वचनबद्ध सरकार है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो लोग दो जून का खाना भी नहीं खा सकते हैं, उन के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। महोदय, कल ही खाद्य मंत्री जी ने एक बयान दिया

जिस पर काफी सवाल-जवाब हुए और मंत्री जी के जवाब से सभी संतुष्ट हुए ।

महोदय, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहती । मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार की प्रति बद्धता सामाजिक न्याय में हैं । सब के प्रति न्याय हो और हम अपने देश को आगे बढ़ाकर "वर्ल्ड फेमिली ऑफ नेशंस" में हमारी हस्ती बुलंद करें, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं । महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उस ओर संकेत भी किया है । मैं चाहूंगी कि हम सभी मिलकर इस धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन का महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करें । धन्यवाद ।

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, thank you very much for giving me this opportunity. I second the Motion of Thanks which was just now moved by our hon. colleague, Shrimati Kamla Sinha.

वाइस-चेयरमैन सर, कमला सिंहा जी ने विदेश नीति के ताल्लुक से कई बातें कहीं हैं । बेनुलअकवानी मुमालि से अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए और इन अच्छे ताल्लुकात की पहले से ट्रेडीशंस हैं, इन ट्रेडीशंस को देवगौड़ा जी की सरकार और आगे ले जाकर और देशों के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रही हैं । न सिर्फ वह बल्कि अपने पड़ोसी मुमालिक से भी कुछ चीजों में अनबन थी, उन सब बातों जिन को दूर कर सके सब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात काफी बढ़ाए गए हैं । इन के ताल्लुक से जो भी हमारी ऑनरेबल मेम्बर कमला सिन्हा जी ने फरमाया है, मैं उस से पूरा-पूरा मुत्तफिक हूँ ।

वाइस-चेयरमैन सर, हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं, उन हालात को ठीक करने के लिए और खुसूस काश्मीर में जो हालात हैं, वहां जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हैं उसे ठीक कर के वहां इलेक्शन कराए गए हैं । पंजाब में भी पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराए गए हैं । नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में भी अमन लाने के लिए कोशिश की जो रही है और न सिर्फ अमन बल्कि इकॉनॉमिक डवलपमेंट के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं । खुसून सी.टी.बी.टी. के ताल्लुक से पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से हमारा सिर ऊंचा किया गया है, उस के लिए मैं न सिर्फ हुकूमत को बल्कि पार्लियामेंट की पूरी पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ । वाइस-चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी का यह एड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और मैं इसकी पूरी-पूरी तारीफ करता हूँ, लेकिन इसमें 50th Anniversary of our

Independence जोकि 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, उस के ताल्लुक से प्रस्ताव किया गया है । लेकिन मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, शायद आप लोग भी मेरी तकलीफ को बांट लेंगे कि देश भर में हम नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की सेनेटनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस प्रस्ताव में अगर उनका नाम नहीं लिया गया तो शायद उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी देशभक्ति को नजरअंदाज किया गया, ऐसा लोग तसुव्वर करने के इमकानात होंगे । ऐसे मेरा ख्याल है ।

सर, खुसूसन गुजिस्ता पीरिएड में जो जो हुकूमतें थी, वे सब हिन्दुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को रोज रोज कमजोर करती गई । इस हुकूमत के आने के बाद से यह फेडरल स्ट्रक्चर को रिवाइव करके मजबूत करने की कोशिश हो रही है । इंटरस्टेट कॉन्सिल की मार्फत से मीटिंग बुलाकर पूरी पार्टियों से बातचीत करके फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत तौर से लाने की जो कोशिश हो रही है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट को मुबारकवाद देता हूँ ।

इस देश में गुरवत मिटाने के लिए खुसूसन एस.स., एस.टी., ओ.बी.सी., माइनोरिटी वगैरह के लोगों के लिए, उनकी जहालत दूर करने के लिए जो कोशिशें यह हुकूमत कर रही हैं, उसके लिए भी मैं इस हुकूमत को मुबारकवाद देता हूँ ।

सर, अफसोस की बात है कि आजादी के 50 साल के अरसे के बाद भी आज तक मिनिमम बेसिक सर्विसेज पूरी तरह से यहां के लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं । खुसूसन ड्रिंकिंग वाटर और कई ऐसी दूसरी चीजें हैं । इसके लिए मैं कहूंगा कि हर हुकूमत यह बोलती रही है कि हम यह पूरा कर देंगे दो साल में करेंगे तीन साल में करेंगे, चार साल में करेंगे, मगर होता नहीं । मुझे उम्मीद है कि यह हुकूमत एक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर एनाउन्स करेगी । यही मेरी खाइश है । इससे दुबारा रिपीट करने की ऐसी जरूरत नहीं रहेगी । खुसूसन ड्रिंकिंग वाटर के ताल्लुक से मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, शर्मनाक बात है कि 50 साल के बाद भी आज पीने का पानी कई विलेजेज में, कई लोगों को नहीं मिल पा रहा । इस वास्ते इस ओर ज्यादा तवज्जुअ दी जानी चाहिए । जहां ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है, वहां भी तवज्जुह देनी चाहिए क्योंकि हाल में "हिन्दु" में एक खबर आई कि जहां ड्रिंकिंग वाटर है वहां भी कुद मसले आ रहे हैं, उदाहरण के लिए- "ड्रिंकिंग वाटर नो एनफ सेफ इन डेलही", इस तरह की एक खबर आई है । यह खबर देखने के बाद तो पसीना छूटता है सबका । इस वास्ते मैं यह भी अर्ज कर रहा हूँ कि जहां ड्रिंकिंग वाटर आप दे रहे हैं, वहां आप देखें कि

वह ड्रिंकिंग वाटर गुड हेल्थ के लिए यूसफुल तो हैं। इसकी कोशिश करनी चाहिए।

एजुकेशन के ताल्लुक से देखें तो हमारे बाद जिन देशों ने आजादी हासिल की, वहां आज सेट परसेंट, 90 परसेंट, 80 परसेंट इलिट्रेसी दूर हो गई, लेकिन हमारे यहां आज भी 50 फीसदी लोग इलिट्रेट हैं। इसके लिए एक खास दिलचस्पी यह हुकूमत ले रही हैं। न सिर्फ एजुकेशन के लिए बल्कि हेल्थ प्रोग्राम, हाऊसिंग प्रोग्राम, रोडस के प्रोग्राम के लिए भी एक पूरी तरह से टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर काम किया जाएगा। ऐसी मुझे उम्मीद है और यहीं मैं हुकूमत से ख्वाइश करता हूं।

पी.एच.एस. के ताल्लुक से बहुत दिन से चर्चा चल रही है। मैं मंत्री महोदय को और गवर्नमेंट को मुबारकवाद देता हूं। यह एक इंकलाबी कदम है। आल देश में देश की हुकूमत की जो माशी हालत हैं, जो फाइनेन्सियल पो जीशन हैं, सबको मालूम हैं, उसके बावजूद भी 8282 करोड़ रुपया देश के गरीबों के लिए खर्च करके उनको पेट भर खाना देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे उन गरीब लोगों के मुंह तक खाना पहुंचेगा। इसकी मैं पुरजोर तारीफ करता हूं। मैं चाहूंगा कि यह काम चीजें एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के तहत चलनी चाहिए।

इसके साथ ही रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं, उसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उसमें यह पैसे की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के पास कुछ मोनेटरिंग सिस्टम भी हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा फिजूस खर्च हो रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा लोग मार रहे हैं। यह पैसा कॉमन-मेन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ चूहे आगर खा रहे हैं और ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत के जिम्मेदार लोग उसको टच करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो यह चूहे उसे पूरा खा जाएंगे। आप जो यह पैसा खर्च कर रहे हैं, उसे ठीक तरह से पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

एग्रीकल्चर पालिसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कोई एग्रीकल्चर पालिसी नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत को मुबारकवाद पेश करता हूं कि अभी एग्रीकल्चर पालिसी के बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स से बात-चीत की गई और बहुत जल्दी एग्रीकल्चर पालिसी को हमारे सामने पेश किया जाएगा। आज भी इतने साल के बाद फर्टिलाइजर और सीड्स वक्त पर नहीं मिलते हैं। मेस्टीसाइड्स

एडलट्रैटिड मिलते हैं। क्रॉप इन्शयोरेंस की हालत यह है कि हम जिनको कर्जा देते हैं सिर्फ उनको ही क्रॉप इन्शयोरेंस देते हैं, दूसरे का क्रॉप गया तो गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी बात 50 साल से चलती आ रही है। लेकिन मैं इस हुकूमत को मुबारकवाद पेश करता हूं कि इस हुकूमत ने ऐ इकदाम लिया कि न सिर्फ जिनको हम कर्जा देते हैं, उनके लिए क्रॉप इन्शयोरेंस होना चाहिए बल्कि हर किसान को, खुसूसन छोटे, मॉर्जिनल और स्माल फारमर्स के लिए भी यह क्रॉप इन्शयोरेंस अमल में आना चाहिए। वे लोग बेचारे गरीब रहते हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता है, और यह गरीबों की हुकूमत है, गरीबों के लिए यह हुकूमत है, इसलिए उनका प्रीमियम भी गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, ऐसा निर्णय हुकूमत ने लिया, मैं इसके लिए हुकूमत को धन्यवाद पेश करना चाहता हूं।

एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर वर्कर्स के बिल के बारे में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 50 साल के बाद भी, दूसरे स्टेट्स ने केरल, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स ने, कई जमाना पहले उस बिल को लाया वहां के किसान मजदूरों के मफाद के लिए, लेकिन यहां सेंटर में, पूरे इंडिया के लिए हम एक वैसा बिल लाने में पीछे हैं। रिकमेंडेशन आफ नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर से सलाह-मशिवरे के बाद एक बिल तैयार किया गया, लेकिन वह बिल आज तक हम पास नहीं कर सके। हम उससे पीछे क्यों हो रहे हैं, यह बात समझ में आने वाली नहीं है। मैं हुकूमत हो यह तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के जरई मजदूरों की तरफ से उनके नुमाइंदों ने हजारों-लाखों की तादाद में 12 मार्च की पार्लियामेंट के सामने आने का एक फैसला लिया है। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 12 मार्च आने से पहले उनकी तकलीफ को रोकने के लिए कुछ ऐसे इकदाम लें और बिल को पेश करें, चर्चा करें और हो सके तो बिल को पास करें, मैं यह हुकूमत से गुजारिश करता हूं।

इरिगेशन के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूं कि इरिगेशन फेसिलिटीज बढ़ाने के लिए इस हुकूमत की ओर से बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं। मैं इसके लिए मुबारकवाद देता हूं, खुसूसन एस.सी., एस.टी. स्माल फारमर्स को कई किस्म की इमदाद दी जा रही है। मैं इसके साथ-साथ यह भी अर्ज करूंगा कि देश में आज भी वाटर डिस्पयूट्स हैं कुछ स्टेट्स के बीच में, उनको हल करना हमारा फर्ज है, बहुत जल्दी हल करना हमारा फर्ज है। इस सिलसिले में मैं यह कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि कृष्ण वाटर डिस्पयूट ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया है, जो अवार्ड दिया है, उसकी पाबंदी

होनी चाहिए। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट में : (1) टी.एम.सी. वाटर इस्तेमाल करते हुए जो 14.84 लाख एकड़ इरिगेट करने के लिए बछावत अवार्ड दिया गया, लेकिन अखबारों में बातें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि कुछ ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, पानी ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, एक नई चीज इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन की बात सोची जा रही है, इस तरीके से पानी को रोकने की जो वहां कोशिश की रही है, इस तरीके से पानी को रोकने की जो वहां कोशिश हो रही है, उससे आंध्र के किसान को बहुत नुकसान होगा। इस वास्ते मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि चीफ मिनिस्टर ने इनीशियेटिव लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया है और उस एक्सपर्ट कमेटी ने वहां मौके पर विजिट करके एक रिपोर्ट भी दी है। उस रिपोर्ट पर फौरन कोई मुबाहिसा करके जल्दी अमल में लाना चाहिए। इस सिलसिले में उसके अमल होने तक तो भी वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन को फौरन रोकना चाहिए, यह मैं हुकूमत से दरखास्त करता हूँ।

हमारा कंट्री एक एग्रीकल्चर कंट्री है। आज भी 70 प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर में मसरूफ हैं लेकिन यह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ताल्लुक से हम कोई खास सोच अभी नहीं किए हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अमेरिका में 400 बिलियन डालर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स वह लोग एक्सपोर्ट करते हैं। That is the biggest industry in America. Not only that. In Europe also, they export 300 million dollars worth of food processing products.

लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे हिन्दुस्तान में केवल एक लाख लोग इस इंडस्ट्री में इन्वाल्व होते हैं। हमारा देश जरई देश है, इस वास्ते हमको काफी यहां अवसर है। हमको मालूम है, आज हम आम उगाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, हर देश में उसकी काफी इज्जत है, काफी साख है, इसके बावजूद भी हम उस पूरे फल को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं। हमारे कई फल यहां गिर जाते हैं, सड़ परिंदे खा लेते हैं। इसको रोकते हुए हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए, यह मैं हुकूमत से अर्ज करता हूँ।

आज रोजमर्रा चीजों की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इनको देखकर एक आम आदमी बहुत परेशानी हो रहा है और आजकल दो-चार महीने से खबर आ रही है कि फिर डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस, इन तमाम चीजों की कीमतें, बढ़ जाएंगी। इन चीजों की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी।

इससे लोग बड़े परेशान हैं लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ संबंधित मंत्री जी को दो-तीन दिन से यह

कह रहे हैं कि किसी किस्म की बढ़ोतरी नहीं होगी और अभी जितनी कीमत है उतनी ही रहेगी। मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एजुकेटेड अनइम्प्लॉयमेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए। महोदय, बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में बैंक शहरों में केंद्रित है और गांवों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, छोटे लोग, गरीब लोग, किसानों को कर्जा देने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं होता है। ऐसी सूरत में 1975 में बहुत सोच-विचार करके हुकूमत ने रूरल बैंक कायम किए। इस तरह से 196 रूरल बैंक कायम हुए और इनकी 15,000 ब्रांचेज कायम की गई। ये बैंक आज भी गरीबों के रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 50 फीसदी से अधिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आज इनके बारे में कुछ अलग ही सोच-विचार हो रहा है। इसके लिए मुझे अफसोस है। हुकूमत की यह पालिसी रही है कि 13,000 लोगों की आबादी के पीछे एक बैंक रहना चाहिए। लेकिन गांवों में बड़े बैंक नहीं गए। केवल रूरल बैंको ने यह कंडीशन फुलफिल की। अब इन रूरल बैंको में 17,00 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान को अगर आप इनकी ब्रांचों के हिसाब से बांटे तो एक ब्रांच के ऊपर 40 लाख रुपए का नुकसान आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए हम जो काम करते हैं, क्या हम उसमें प्रॉफिट देखते हैं? आज हम जो पी.डी. एस. दे रहे हैं, उसमें हम क्या क्या फायदा चाहते हैं? ये बैंक गरीब लोगों के लिए, एस.सी., एस.टी., माइनोरिटीज, जो लोग पढ़-लिख नहीं सकते, उनके लिए कायम किए गए हैं। इसके लिए बल्टा सोचना और प्राइवेट बैंको के लिए रास्ता खोलना, यह बहुत बुरी बात है।

महोदय, माफ कीजिए हमारे यहां मारवाड़ी लोग, बनिए लोग कर्जा हैं। अब उनकी जगह रूरल बैंको ने ले ली है।

श्री एस. अहलुवालिया (बिहार) : महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ये जो इन्होंने “मारवाड़ी” और “बनिए” शब्दों का प्रयोग किया है, इनको डिलीफ कर देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चुर्वेदी) : स्वयं ही आप इन शब्दों को हटा दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करने की आपकी कोई मंशा नहीं है।

श्री सोलीपेटा रामचन्द्र रेड्डी : ठीक है, मैं इन शब्दों को विदझा कर लेता हूँ। महोदय, मैं आपसे अर्ज करना

चाहता हूँ कि आपके लोकल ऐरिया बैंक लाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मैं आपको ऐश्वोर कर सकता हूँ कि ऐरिया बैंक देहातों में नहीं आएंगे और वे गरीबों को कर्जा नहीं देंगे। वे अपनी बीवी के नाम, बहन के नाम, साले के नाम पर बिजनस करेंगे। यह गरीबों की मदद करने वाले नहीं हैं। इनकी आड़ में जो रूरल बैंको को धक्का देने की कोशिश हो रही है, वह ठीक नहीं है। यह नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इन बैंकों के कर्मचारी छोटे-छोटे गांवों में काम कर रहे हैं जहां शौचालय की सुविधा नहीं है, जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है। यहां के राष्ट्रीयकृत बैंको के काम करने वाले कर्मचारी के लिए सभी सुविधाएं हैं और उसको तनखाह भी ज्यादा मिलती है लेकिन इन रूरल बैंकों के कर्मचारियों के तनखाह भी कम मिलती है। इस सिलसिले में द्विपक्षीय समझौता भी हो चुका है कि इन कर्मचारियों को भी बढ़े हुए वेतन दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है जिसके लिए इम्पॉयीज फाईज कर रहे हैं और ऐजीटेशन कर रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। आखिर ये लोग गरीबों के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं हुकूमत से दरखास्त करना चाहता हूँ कि वह इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए फौरन कदम उठाए और जो इनका बाई-पार्ट वेज सैटलमेंट हुआ है, उसको रूरल बैंको में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू किया जाए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पापुलेशन की समस्या का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हम जो भी काम जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कर रहे हैं या जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है और उससे यह समस्या हल होने वाली नहीं है।

आने वाले चन्द सालों में कुछ लोगों का ख्याल है कि चीन से भी ज्यादा हमारी पौपुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए इस ओर मजबूती से अमल करने के लिए इस हुकूमत को कुछ सोच विचार करना चाहिए, यह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। उसके साथ करप्शन के ताल्लू से बोले बगैर नहीं रह सकता। देश में पब्लिक लाईफ में भी रिश्वतखोरी रोज-रोज इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग माफ करना, हम सब एम.पी.ज., एम.एल.ए.ज. पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं। लेकिन हमको भी लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, यह आम बात है, यह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इस करप्शन को रोकने के लिए बहुत सख्ती से इंजामात करना चाहिए। लोकपाल बिल की बात हो

रही है वह बहुत दिन से हो रही है। इसको फौरन लाना चाहिए। पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली मेंबर, पूरे आई.ए.एस. अफसर सब उसके दायरे में आना चाहिए और अगर वह गलती करे तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, यह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। उसके साथ-साथ यह ट्रांसपिरेंसी और एकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। मैंने अभी किसी अखबार में देखा कि यह हुकूमत एक बिल भी राईट टू इंफार्मेशन के सिलसिले में लाने वाली है। वह बिल फौरन आना चाहिए। अगर वह बिल ला रहे हैं तो मैं एडवांस में मुबारकवाद भी देता हूँ।

बोफर्स के ताल्लूक से मैं दो बातें अर्ज किए बगैर नहीं रह सकता। जैसा पूरी पार्टियां चाह रही हैं उसी तरह से हमारी पार्टी भी चाहती है कि हर चीज, हर पत्र, वह रहस्य पत्र हो पूरे पत्र पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए। यह हमारी पार्टी की भी डिमांड है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो हम वन थर्ड देने की बातें बोल रहे हैं, हमारे चन्द्रबाबू नायडू और हमारी असेंबली दो-बार रिजोल्यूशन कर चुकी है। इसके बावजूद हर पार्टी ने मान लिया फिर भी यह बिल पास नहीं हो रहा है इतने दिनों से। मैं हुकूमत से अर्ज करूंगा कि फौरन इस बिल को पास करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए और औरतों को वन थर्ड रिजर्वेशन देना चाहिए। चाइल्ड लेबर के बारे में हमारी बहन ने बहुत सारी बातें कही। इस सिलसिले में मैं केवल एक ही बात बोलूंगा कि वह बिल जरूर लाना चाहिए।

उर्दू यूनिवर्सिटी के ताल्लूक से मुझे दो बातें कहनी हैं। उर्दू ऐसी जुबान है जो न किसी मजहब की है और न किसी प्रांत की है। हिन्दुस्तान के पुरे प्रांतों में उर्दू बोलने वाले हैं, पूरी मजहब में उर्दू बोलने वाले हैं। उसके ताल्लूक से जो बिल पास किया गया उसमें दो साल लगे और उसके अमल में कितने साल लगेंगे कुछ पता नहीं है। उसके बारे में यह हुकूमत कुछ सोच विचार कर रही है, यह मुझे डाउट है इसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हमारा आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इसके लिए 500 एकड़ जमीन भी दी है। अगर हो सके तो फौरन इस उर्दू यूनिवर्सिटी को आने वाले एकाडमिक ईयर में चालू किया जाए। नहीं तो आप उर्दू के साथ नाईसाफी कर रहे हैं।

बिलों पावर्टी लाईन के ताल्लूक से कुछ बोलना है। यह बिलों पावर्टी लाईन का जो लक्कड़वाला साहब ने निकाला है, उनका यह हिसाब तो ठीक है हम उसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकते। जो गरीब लोग खरीदते हैं, लो खाते हैं, जो पीते हैं उसके हिसाब से उन्होंने बिलो पावर्टी लाईन का निकाला है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उनका मेथडोलोजी हमारे आंध्र प्रदेश के लिए नुकसानदेह साबित हुआ क्यों? क्योंकि किसी स्टेट में नहीं है, हम दो रुपए किलो चावल 14 साल से देते आ रहे हैं। तो हमारा हिसाब करते वक्त लक्कड़वाला साहब ने देखा कि वह

दो रुपए में खरीद रहा है, वह छः रुपए, आठ रुपए रखकर खरीद रहा है तो उसकी शक्ति ऐसी है तो ऐसा समझकर लक्कड़वाला साहब ने हमारा परसेटेंज बहुत कम लिया है। मैं आपसे सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि उनको यह परचेस पॉवर नहीं है। वह सिर्फ दो रुपए का परचेस पॉवर इस्तेमाल कर रहा है। यह गवर्नमेंट की दी हुई परचेस पॉवर है, उसकी दी हुई परचेस पॉवर नहीं है। इस वास्ते मैं हुकूमत से अर्ज करूंगा कि यह केलकुलेशन में जो गलती हुई, 56 फीसदी चावल और जो खाने की चीजों में उसको मार्क्स दिए गए वह गलत हो गया। इसको हमारे चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत से भी रिक्वेस्ट किया है जिसकी जांच-पड़ताल करनी चाहिए और हमारे जो लोग हैं उनको यह पी.डी.एस. अमल में आना चाहिए, मैं हुकूमत से यह रिक्वेस्ट करता हूँ।

मैं हुकूमत से यह रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर केरोसिन के सिलसिले में भी इंटरस्टिंग चीज है कि वे हिस्टॉरिकल सेल्स के ऊपर दे रहे हैं। किसी और मामले में यह हिस्टॉरिकल सेल्स की बात नहीं आई। ठीक है, आपने हिस्टॉरिकल सेल्स कहा है। हिस्ट्री कैसी है मालूम नहीं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हिंदुस्तान के हर स्टेट को पर-कैपिटा 10.34 किलोग्राम से लेकर 32.92 किलोग्राम तक मिलता है लेकिन सिर्फ आंध्र प्रदेश को 9.25 किलोग्राम मिलता है। यह हुकूमत का हिसाब-किताब है। इसलिए मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वह इसमें पैरिटी मॉटेन करे और पापुलेशन के हिसाब से दे। आंध्र प्रदेश के साथ यह जो ऐलॉटमेंट में नाइंसाफी हुई है, इसे सरकार को दूर करना चाहिए।

महोदय, मैं एक और गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज 25 तारीख है। वहां राजमुन्दरी में ओ.एन.जी.सी में क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन पिछले एक महीने से वहां आंदोलन चल रहा है। तीस साल पहले ज कावेरी बेसिन में काम शुरू हुआ तो ओ.एन.जी.सी. का ऑफिस मद्रास में खोला गया। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में आप देख रहे हैं कि ज्यादा ऑयल है, ज्यादा गैस है लेकिन इसका बावजूद हर काम के लिए हमें मद्रास भागना पड़ता है। दो साल पहले एक बार ब्लो-आऊट हुआ था तो बहुत परेशानी हुई थी। उस वक्त एक कमेटी वहां गई थी और उन्होंने बोला था कि यहां ऑफिस खुलना चाहिए। उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि यहां ऑफिस होना चाहिए और उन्होंने वायदा किया कि हमारी हुकूमत कंसीडर करेगी और यहां ऑफिस खुलेगा। अभी हाल ही में एक और

ब्लो-आऊट वहां हो गया लेकिन उसके नजदीक कोई नहीं गया। जब मद्रास को इन्फॉर्मेशन गई तो वहां से एक टीम भेजी गई। अगर वहां रीजनल ऑफिस हो तो मिनटों में ही पहुंच जाते तो उसको रोक सकते थे। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश में गैस का बहुत जखीरा है, ऑयल का बहुत जखीरा है। इस वास्ते वहां ओ.एन.जी.सी का ऑफिस रहना चाहिए। कुछ लोग इसको गलत समझ रहे हैं और वे यह समझ रहे हैं कि मद्रास का ऑफिस लाकर वहां रखो। मद्रास का ऑफिस मद्रास में ही रहने दीजिए। यह नया ऑफिस राजमुन्दरी में खोलिए। वहां इसकी जरूरत है। यह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारी हुकूमत ने 5 एकड़ जमीन भी दे दी है। इसलिए फौर वहां ऑफिस खुलना चाहिए और वहां जो आंदोलन चल रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। हमारे वीरा साहिब जो सी.एम.डी. हैं और हमारे मिनिस्टर साहब,

They were kind enough to promise that they would upgrade whatever office was there at present.

उन्होंने कहा है कि वहां जी.एम. का एक ऑफिस बना देंगे और उसको सारी पावर्स देंगे। यह मंत्री जी ने कहा और वीरा साहब ने कहा है। उसके बाद जब लोगों ने ऐतराज किया जो मंत्री जी ने कहा कि रीजनल डायरेक्टर और जी.एम. दोनों व्यवसायी हैं। अगर दोनों व्यवसायी हैं तो मेहरबानी करके रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस रखवा दीजिए। यह मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी स्टेट की ओर से हुकूमत से अर्ज करना चाहता हूँ।

महोदय, हमारे आंध्र प्रदेश में मित्र की पैदावार ज्यादा है तंबाकू की पैदावार ज्यादा है। लेकिन इनकी कीमतें गिर जाने से लोग परेशान हैं। हमारे चीफ-मिनिस्टर यहां की हुकूमत से मिले और तुरंत नेफेड और एस.टी.सी. की ओर से इन चीजों को खरीदने की कोशिश की गई, इसकी मैं तारीफ करता हूँ।

महोदय, मैं एक और बात बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ।

The character of Government as well as the character of a system is very important. The character of the Government is good. It has changed. It is good. But I am sorry to say that the character of the system has not changed to the extent it should. The character of the system should also change so that the country can go ahead with its developmental activities.

फर्टिलाइजर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह देर से भेजा जाता है। फर्टिलाइजर की सप्लाई वक्त पर होनी चाहिए। आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : इन्होंने इतना अच्छा उर्दू में बोला। यहां भाषाओं के विवाद में हम लोग मरते रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चुरवदी) : वह हैदराबाद वाले हैं, वे तो बहुत अच्छी उर्दू बोलेंगे। खैर, उनकी स्पीच के लिए आप उन्हें कांफ़्लिमेंट कीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVETJI): There are a number of amendments to this motion which may now be moved. Amendment numbers 1 to 23, Shri Ram Jethmalani. He is not present. Amendment numbers 24 to 64, Shri Govindram Miri.

SHRI GOVINDRAM MIRI: Sir, I beg to move:

24. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any Government scheme to set up new industries in District Unnao, Uttar Pradesh."

25. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any scheme for closure of Bone Mills and other Polluting Industries in Unnao District of Uttar Pradesh."

26. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formation of a popular government in Uttar Pradesh."

27. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any action plan for improving the continuously deteriorating law and order situation in North-Eastern regions of the country."

28. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not

mention about non-bifurcation of jurisdiction of Bilaspur Railway Division, which is the maximum revenue earning Division of Railway in the country and formation of a new Railway Zone at Bilaspur."

29. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the ban on cow slaughter."

30. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any policy to curb the increasing unemployment."

31. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing the Posts of Prime Minister and other high level Posts under Lok Pal Bill."

32. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any efforts to get freed the Pak-occupied Kashmir."

33. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about abolition of criminalisation in Politics."

34. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any concrete Programme for checking rising terrorists and disruptive activities in the north east region of the country."

35. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any funding by Government to check use of black money for election expenses."

36. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about formation of a separate

Chhatisgarh state in deference to a Resolution unanimously passed by Madhya Pradesh Vidan Sabha."

37. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any special scheme to contain the prices of sugar and other edible items."

38. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about apprehending the persons found guilty in the Bofors gun scandal and repatriating them to India."

39. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about taking any steps for improving continuously deteriorating law and order situation in Uttar Pradesh and Bihar."

40. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about any steps proposed to be taken to mitigate the difficulties being faced by the sugarcane growers from the sugar mills."

41. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the formation of a separate Uttaranchal state comprising eight hill districts of Uttar Pradesh."

42. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about early clearance of the pending projects of Uttar Pradesh and Bihar."

43. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about increasing the remuneration of agricultural labourers."

44. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about formation of a separate bench of Madhya Pradesh High Court in the Chhatisgarh region of Madhya Pradesh."

45. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the measures Government intend to take to contain the ever increasing prices' of essential commodities."

46. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address as to how Government propose to check the fast deteriorating law and order situation in Uttar Pradesh which has resulted in spate of cases of murder, abduction, molestation, caste war and around breakdown of machinery responsible for maintaining normal conditions in the State."

47. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps Government proposes to take to handle the situation arising out of the acute famine/drought conditions prevailing in certain parts of Orissa" resulting in a number of deaths due to hunger and driving a large number of people to mortgage their children out of compulsion as the State Government has not risen to the Occasion."

48. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps being taken by Government to contain the increasing militancy/insurgency in North-eastern States of the country, particularly in Tripura and Manipur."

49. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the unrest in West Bengal after the signing of Ganga Water treaty With

Bangladesh and the safe guards taken by Government to meet the situation arising out of likely shortage of water that may affect the State."

50. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in Address about the tardy and unsatisfactory progress made in the Bofors case even after receipt of requisite bank documents from Swiss authorities and the action Government propose to take to the satisfaction of the public at large and punish the culprits."

51. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the ever increasing corruption involving high-ups in the country and the investigative agencies trying to hush up or to delay the cases."

52. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Government's failure on the food front that resulted in the import of large quantity of food grains from abroad."

53. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address regarding the decline in industrial growth rate and rising unemployment."

54. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the delay in the implementation of the Report of the Fifth Pay Commission to the satisfaction of all concerned."

55. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the steps Government propose to take to reduce the disparity between different income groups."

56. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the malpractices in the P.D.S. which result in rise in prices of food grains and sugar causing hardship to the poor and steps Government propose to take to remedy the situation."

57. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that despite tall claims by Government about self-sufficiency in food grains, Government had to resort to import of wheat and sugar and the steps proposed to be taken to remedy the situation."

58. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in Address about the failure of the Government to check air violations at will by a neighbouring country hostile to India and how Government propose to plug the loop holes in air defence."

59. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about measures taken by Government to liquidate hideouts of I.S.I. of Pakistan in different parts of the country."

60. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the depleting naval defence of the country and the measures Government propose to take to augment the naval fleet/forces."

61. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the formation of a separate State of Uttrakhand as promised by the Government from time to time."

62. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the address about the steps to be taken to decongest the Capital city of Delhi so as to make it liveable."

63. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address that despite tall claims by Government there has been slump in growth rate of industry in the country, particularly in fertilizer, copper, cloth, jute and crude petroleum and how Government propose to boost the industrial growth."

64. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the apprehended declaration in growth rate of mining and electricity sectors which may hit future industrial growth and how Government propose to remedy the situation."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Amendment numbers 65 to 69. Shrimati Malti Sharma.

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

65 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्यों तथा इन मूल्यों को कम करके एक उचित स्तर पर लाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"

66 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ठोस कार्यक्रम बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

67 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रसायन उर्वरकों की कमी तथा उनके बढ़ते मूल्यों के कारण किसानों को होने वाले कष्टों का उल्लेख नहीं है।"

68 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी मिल मालिकों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने के कारण गन्ना उत्पादकों को होने वाले कष्ट को कोई

उल्लेख नहीं है।"

69 प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिये उठाये गये उपायों को कोई उल्लेख नहीं है।"

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Amendment numbers 70 to 71. Shri Narain Prasad Gupta; not present. Amendment numbers 72 to 94; Shri Ramdas Agarwal; not present. Amendment numbers 95 to 100; Shri V. Narayanasamy; not present. Amendment numbers 101 to 125. Shri R. Margabandu; not present. Amendment number 126. Shri K.R. Malkani; not present. Amendment numbers 127 to 154. Shri Raghayji; not present.

Now, Prof. Vijay Kumar Malhotra to speak.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वर्तमान सरकार कहकर उल्लेख किया और कमला सिन्हा जी ने भी बार-बार हमारी सरकार का जिक्र किया। वास्तव में क्या सचमुच कोई सरकार है, कोई शासन चल रहा है, कोई हुकूमत इस देश में हो रही है यह सरकार कितने दलों की है, यहीं समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहा जा रहा है कि 13 दलों की है। फिर दो दल कांग्रेस में शामिल हो गये, 11 दल रह गये, 12 दल रह गये और स्थिति यह है कि यह एक ऐसा रथ है जिसके 11 या 12 घोड़े हैं और सभी अलग-अलग दिशाओं में उसको खींच रहे हैं। कोई दो घोड़े भी एक दिशा में नहीं चल रहे हैं। ऐसी इसकी स्थिति हो गयी है। वैसे दिशाएं दस मानी जाती हैं — चार दिशाएं, चार उसके कोने, एक ऊपर और एक नीचे परन्तु यह अजीब रथ है जो 12 दिशाओं में खींचा जा रहा है और जो चरमरा रहा है। यह कब टूट जाए, टुकड़े-टुकड़े हो जाए, इसके बारे में कुद कहना कठिन है। यह ठीक है जो आपने कहा कि यहां मिली-जुली सरकारों का जमाना है, कोलीशन गवर्नमेंट्स चल रही हैं, कई स्टेट्स में मिली-जुली सरकारें चल रही हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार चलना चाहिए। यहां तो मंत्री ही मंत्री का विरोध कर रहे हैं। एक मंत्री दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। जो पार्टी सरकार में शामिल है, यह सरकार में शामिल होने के बाद सरकार में

तो निर्णय करती हैं और बाहर निकलकर उस निर्णय का विरोध किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सरकार में शामिल हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य सारी नीतियों का, जो भी फैसला किया जाता है, उनका बाहर विरोध करते हैं। इंश्योरेंस सैक्टर को विश्व में खोल दिया जाए, यह कैबिनेट तय करती हैं। यहां पर जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों उसका विरोध करते हैं। और उनके मंत्री तक उसका विरोध करते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर कल मैंने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी के होम मिनिस्टर ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में कयोटिक केडीशंस हो रही हैं, वह अनाकी की तरफ बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार चला कौन रहा है? वह चला रहे हैं। गृह मंत्री की सरकार वहां पर है। वहां पर होम मिनिस्टर की सरकार है और गवर्नर उनका नॉमिनी हैं। वहां पर प्रेजीडेंट रूल है। अगर वहां पर अनाकी है, अगर वहां पर कयोटिक केडीशंस है और वहां शासन तंत्र तबाह हो गया है तो कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है, वहीं खड़ा होकर कह रहा है कि वहां पर अनाकी हो रही है, वहां पर सत्यानाश हो रहा है और वहां सारे का सारे शासन का पता नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या वहां के गवर्नर को हटाना चाहिए। अगर दोनों बातें सही हैं तो उन्हें अपनी सरकार पर विश्वास करना चाहिए या बाहर निकल आना चाहिए। किसके ऊपर आरोप हो रहा है? किसको बता रहे हैं कि वहां स्थिति पैदा हो रही है। अजीब सरकार है जिसके एक-तिहाई सदस्य सरकार में हैं और दो-तिहाई सरकार से बाहर हैं। दो तिहाई में एक तरफ तो सी.पी.एम. हैं, जो बाहर हैं तथा जो लगातार उसका विरोध करती हैं।

परन्तु जब वोट देने का सवाल आता है तो आकर उनका समर्थन कर देते हैं। उनकी राष्ट्रीय पोलि ब्यूरो बैठती है तो वह इतनी आलोचना करती हैं जितनी और कोई दल नहीं करता है। उसके बाद मौका आने पर उसका समर्थन करती हैं। सबसे अजीब स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है? हर रोज लगता है कि जैसे कोई बन्धुवा मजदूर हैं, काम वही करना है। वे तो रोज धमकी देते हैं। और उनकी स्थिति तो कुछ इसी तरह की है कि जैसे एक कर्मचारी था वह मालिक से कहता था कि मेरी तनखाह बढ़ा दो वरना, वरना, वरना और जब मालिक ने पूछा कि यह वरना, वरना क्या है तो वह बोला अच्छा उसी तरहवाह पर काम करूंगा। इन्होंने वहीं रहना है। सरकार का समर्थन करते जाना है, लगातार धमकी भी देते जाना है। इस समय देश में पोलोराइजेशन हो रहा है, दो पार्टियों में हो रहा है, साठे सूडो सेक्युलरिस्ट एक तरफ है। ये बन्धुआ मजदूरी

उनकी केवल भाजपा विरोध की है, भाजपा विरोध के नाम पर खरीद रखा है इस सरकार ने कांग्रेस पार्टी को। यह सूडो सेक्युलर पार्टियां एक तरफ और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की प्रतीक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी एक तरफ हैं। मुझे खुशी है कि बात का जितना ये विरोध कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस बात का जितना ये विरोध कर रहे हैं उतना ही हमें लाभ हो रहा है। अभी पंजाब के चुनाव हुए उसके बाद मुम्बई में चुनाव हुए, छिन्दावाड़ा में चुनाव हुआ, नागौर में चुनाव हुआ और अब दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। इसमें जो हालत हो रही है सत्तारूढ़ पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की उस सबके बारे में धीरे-धीरे दिखाई देगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चुर्वेदी) : मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सी. एम. इब्राहिम : सारी म्युनिसिपटीज को आप चलाइए, देश हम चलायेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पंजाब में इलेक्शन हो गया। नागौर और छिन्दावाड़ा की जो सीट कांग्रेस ने 1977 में भी जीती थी, कभी उनके हाथ से नहीं निकली, 1977 में भी नहीं निकली, वह भी उनके हाथ से निकल गई। यूनाइटेड फ्रंट की भी सब जगह पर हालत खराब हुई है और अब इसके बाद मिड टर्म पोल आ रहा है, उसकी तैयारी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चुर्वेदी) : इब्राहिम जी अपनी तरफ से कह रहे हैं, सरकार की तरफ से नहीं कह रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बार-बार कुछ बातों का उल्लेख किया है। उसमें इन सात मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया है। श्रीमती कमला सिन्हा जी ने भी उसका बहुत जिक्र किया और जिन्होंने सेकेण्ड किया उन्होंने भी बहुत जिक्र किया है। ये सात क्या हैं — प्रत्येक बस्ती में पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघर लोगों के लिए सार्वजनिक आवास, मुख्य सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक प्रणाली।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पचास साल के आप सारे प्रेजीडेंट एड्रेस देखिए। मेरे ख्याल में एक भी प्रेजीडेंट सारे प्रेजीडेंट एड्रेस नहीं हैं जिसमें इन बातों का जिक्र न हो। इसको हमने एक रस्म बना लिया है, कर्मकांड बना लिया है कि कोई भी प्रेजीडेंशियल एड्रेस हो, एक पार्टी का हो या दूसरी हा या सातों बातों का उसमें जिक्र होता है। सबको पीने का पानी सबको प्राथमिक शिक्षा देंगे, सबको रोजगार देंगे, सब गरीब लोगों को मकान बनाने की बात

थी। बता दीजिए जिसमें इसका जिक्र नहीं हो। हो क्या रहा है ? जिक्र करने के बाद भूल जाते हैं। आज पहले से ज्यादा गांवा हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है ज्यादा आदमियों को, आज पहले से ज्यादा लोग हैं कि जिनको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं है। हम क्यों धोखा देते हैं ? क्यों हर बार राष्ट्रपति जी के भाषण में इसका जिक्र करते हैं ? कुछ चीजें जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र करना महज एक औपचारिकता है कि कुछ यह बता दो, कुछ विदेश नीति की बात, कुछ डिफेन्स की बात, कुछ मूलभूत सुविधाओं की बात, कुछ एग्रीकल्चर की। मेरा कहना यह है कि जो बनाने वाले हैं शायद वे सही आदमी हैं, वह बना देते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इनकी सरकार हो, उनकी सरकार हो, जनता दल की सरकार आये या कोई और आये। भाषण वहीं रहता है और उसके अन्दर वहीं बातें कह दी जाती हैं।

महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया काश्मीर का। काश्मीर के बारे में अभी आपने कहा कि काश्मीर के अन्दर चुनाव हुए हैं, यह हुआ है, वह हुआ है सब इसका जिक्र किया, परन्तु जो प्रधान मंत्री जी का भाषण है या उसके पहले फारूख अबदुल्ला ने दिया और जिसमें से बड़े तरीके से निकलने की कोशिश की जा रही है, एडजस्टमेंट की जा सकती है, क्या प्रधान मंत्री जी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ?

क्या यह उनकी पुस्तैनी जमीन है, क्या यह उनकी घेरलू जमीन है ? मैं आपको बताता हूँ कि काश्मीर का कांस्टिट्यूशन क्या कहता है, दो ही कांस्टिट्यूशन हैं, एक जम्मू कश्मीर का कांस्टिट्यूशन और दूसरा हिन्दुस्तान का कांस्टिट्यूशन है। जम्मू और कश्मीर का कांस्टिट्यूशन कहता है कि :

"The territory of the State shall comprise all the territories which on the 15th day of August, 1947 were under the sovereignty and suzerainty of the ruler of the State."

आगे कहते हैं :

"No Bill or amendment seeking to make any change in the provisions of this section shall be introduced or moved in either House of legislature."

जमीन को इंच भी कम करना या ज्यादा करना, इसका अधिकार जम्मू और कश्मीर कांस्टिट्यूशन ने उनको नहीं दिया। इसके आगे हमारे कांस्टिट्यूशन में जो दिया है वह है कि :

The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, para 1, Article 3, provided further:

"No Bill providing for increasing or diminishing the area of the State of Jammu and Kashmir or altering the name or boundary of that State shall be introduced in Parliament without the consent of the legislature of that State."

उसको हम कम नहीं कर सकते, यह वहां हो नहीं सकता। यह किसका अधिकार है ? किसी को यह कह देना कि जमीन दें देंगे, फलां कर देंगे यह कांस्टिट्यूशन की हत्या है, यह कांस्टिट्यूशन की खिलाफत है। इसका किसी को अधिकार नहीं है कांस्टिट्यूशन की कसम खाकर प्रधान मंत्री के पद पर बैठकर इस तरह की बात जो व्यक्ति करता है, मैं समझता हूँ कि देश के हितों के खिलाफ इस तरह की बात कहता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में नाइंथ प्लान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि नाइंथ प्लान दो महीने के अंदर शुरू हो रहा है। यह पहली अप्रैल से शुरू हो जाएगा। क्या पोजीशन है नाइंथ प्लान की ? राष्ट्रपति के भाषण में इसका कोई जिक्र न करके केवल यह कहा कि नाइंथ प्लान के अप्रोज पेपर तैयार हो गए। अगर अप्रोज पेपर तैयार हो गए हैं तो इसका जवाब दें कि स्पोर्ट्स में कितना पैसा होगा। क्या नाइंथ प्लान के बारे में मेंबर्स का पता नहीं होना चाहिए। नाइंथ प्लान दो महीने बाद शुरू होगी। आठवीं प्लान का जो मिड टर्म अप्राइजल था उस पर संसद में बहस नहीं हुई। हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला आप नाइंथ प्लान में करने जा रहें हैं लेकिन इसके अंदर उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि किस को कितना अलोकेशन होने जा रहा है यह कोई छिपाने की बात नहीं है, यह कोई सीक्रेट बात नहीं है कि अगर बात बाहर निकल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया गया है कि प्लान के अंदर इतना इतना अलोकेशन है, जी.डी.पी. का यह परसन्टेज होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि नाइंथ प्लान को पब्लिक के सामने ओपने करना चाहिए और सब को इस बारे में खुलकर बताना चाहिए। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और इस बारे में लोगों के सजेशन लेने चाहिए और उसके बाद इसको ठीक तरह से बनाया जाना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, प्राइस राइज का इसमें जिक्र किया गया है। प्राइस राइज का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि प्राइस राइज जो हो रहा है कि इसका ताल्लुक

पहली सरकार से हैं। पहली सरकार का भी प्राइस राइज से ताल्लुक हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स 7.9 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10.4 हैं और जो इंडस्ट्रियल लेबर का प्राइस इंडेक्स, यह जो लेबर ब्यूरो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फार इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन दिल्ली हैं इसमें इन्क्रीम हैं 28 परसेंट। 28 प्रतिशत, जो सरकार 9 महीने से हैं इतनी हो गई नौ महीने के अंदर। 28 परसेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनका है कि उनमें बाकी चीजें नहीं आती। उनमें अनाज आता है, अ

ट्रांसपोर्ट आता है, एक गरीब आदमीकी चीजें आती है जिसको आप गरीबी की रेखा के नीचे कहते हैं। इसमें 28 परसेंट इन्क्रीज है। पहले वाला तो है ही। 28 परसेंट इन्क्रीज क्योंकि नवम्बर 1995 में 322 अब हो गया 404। 28 परसेंट इन्क्रीम हुई। अभी जो बढ़ाया है खुले बाजार में गेहूँ के दाम, चीनी के दाम और उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस का असर, जब यह बजट आएगा और पहली अप्रैल आएगी यह निश्चिततौर पर 35-40 परसेंट जाएगा उसके हिसाब से कोई डेली वेजेज नहीं बढे कोई अर्न नहीं हुआ और गरीब आदमी के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात मंहगाई का इस सरकार की नीतियों के कारण हुआ है, जिसका कि प्राइस राइज में मैं जिक्र करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर भ्रष्टाचार के बारे में कुछ जिक्र किया गया। लोकपाल बिल का भी जिक्र किया गया। 1968 से लोकपाल बिल के बारे में हर प्रेजीडेंशियल एड्रेस में जिक्र हो रहा है। 30 साल हो गये, आखिर यह लोकपाल बिल क्या चीज है, यह आता क्यों नहीं है ? इस सरकार को 8-9 महीने हो गये हैं लेकिन लोकपाल बिल नहीं आ सका। अब कहते हैं कि लोकपाल बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी डिसकस कर रही है। तीन सिलेक्ट कमेटियां इसे देख चुकी हैं,। जब कभी होता है तो यह कहा जाता है कि अब फलां कमेटी देख रही है। अब कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी देख रही है। अभी तक एक दो-महीने आने की संभावना नहीं है। फिर यह सेशन भी निकल जाएगा। आखिर इसका आंस्वरेबल कौन हैं ? इसमें क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज है बार बार कमेटियां इसको देख रही है ? प्राइम मिनिस्टर को उसके अंदर लाना है या नहीं लाना है, प्राइम मिनिस्टर को उसके अंदर लाना है या नहीं लाना है, इसका फैसला करिये और बिल को यहां पर लाइये। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 30 साल जो भी गवर्नमेंट रही उसको टालती चली जा रही है। अब यहां जिक्र किया जाता है। कई बार उसके बारे में आ रहा है कि ज्यूडिशियल एक्टीविजम बढ़ रहा है। कई बार उसके बारे में आ रहा है कि ज्यूडिशियल एक्टीविजम को खत्म करने के लिए सरकार यह करेगी, वह करेगी। इस तरह की चीजें आ रही हैं।

परन्तु ज्यूडिशियली एक्टीविजम क्यों हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए। जितनी चार्ज कोर्ट में गई है उनमें से चीजें निकल तो रही है। अभी इण्डियन बैंक का मामला आज आ गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेट कर लिया। पब्लिक लिटीगेशन में आ गया है तो ज्यूडिशियल एक्टीविजम कहा जाएगा। अगर आप कदम नहीं उठाएं और उनको बचाने की कोशिश करें, आप अपने मिनिस्टरों को बचाने की कोशिश करें, आप उन सब के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें उनको कोर्ट पकड़े नहीं, देखें नहीं तो यह ज्यूडिशियल एक्टीविजम का कैसे आप उन पर आरोप लगा सकते हैं ? बोफोर्स का मामला हैं, उसको कवर पर कवर किया जा रहा हैं। अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी कहती हैं कि पेपर रखने चाहियें। अगर आपकी पार्टी कहती हैं कि यहां पर पेपर रखने चाहियें तो रखें, क्यों नहीं रखते हैं ? यह आश्चर्य की बात हैं कि आपका मिनिस्टर कहता हैं कि नहीं रख सकते। उनका एक हिस्सा हैं मिनिस्ट्री में, उनका एक भाग हैं गवर्नमेंट चलाने वालों में, वह कहते हैं कि रखे जाने चाहिये, दोनों अपोजिट बातें कह रहे हैं यह पेपर सदन के पटल पर रखे जाने चाहियें इसमें कोई लीगल-वीगल बाधा नहीं हैं, सब मज्जाक की बातें हैं। आप पूरे के पूरे बोफोर्स के पेपर यहां पर रखिए ताकि पता लगे कि क्या चीज उसमें कही गई हैं। उसका यूज केवल यहां से बुल्ली करने के लिए, ब्लैक मेल करने के लिए करते रहेंगे। हो यह रहा हैं कि जिसको चाहे उसके पीछे लगा दो। जिसको बचाना हैं उसको बचा लो। चारा घोटाले की बात अलग हो रही हैं। बिहार की बात अलग हो रही हैं। वहां पर कोई उसके ऊपर परमिशन नहीं दी जा रही हैं। आयुर्वेद दवाओं के घोटाले की परमिशन मांग रही हैं सी.बी.आई. लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही हैं। कहीं परमिशन दे रहे हैं और कहीं पर नहीं दे रहे हैं। कहीं पर एक्शन ले रहे हैं, कहीं पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। कितनी झाड़ गवर्नमेंट को और सी.बी.आई. को कोई ने लगाई हैं उसके बाद भ्रष्टाचार हटाने की बात करना या उसके बारे में कोई गवर्नमेंट सिसयेर हैं यह कहना एक मज्जाक के अतिरिक्त कोई बात नहीं हो सकती।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जी. स्वामीनाथन) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी आ रहा हैं कि डा. कंवर का जो हत्याकांड हुआ, 1993 में सी.जी.एच.एस. के एक डाक्टर को रात को मार दिया गया। उन दिनों इलेक्शन हो रहा था उसका मर्डर हो गया। मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में राजेश पायलट साहब जो फारमर मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखते हैं कि इसकी

इन्क्वारी करो, सी.बी.आई. को दो पोलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से, पोलिटिकल प्रेशर की वजह से इसका दबाया जा रहा है। यह तो फैक्ट है कि उसकी पत्नी को उसके बाद अलग सरकारी मकान दिया गया। यह भी फेक्ट है कि उसके पास दो गाड़ियां ए.आई.सी.सी. की रही। इस सब के बाद भी इसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं मामला सी.बी.आई. को दिया गया? क्या फिर लिटीगेशन का इंतजार हो रहा है कि कोई जाए और उसके बाद कोर्ट कहे कि हम मोनिटर करेंगे फिर आप करेंगे फिर आप कहेंगे कि यह ज्यूडिशियल एक्टीविज्म हो रहा है। कौन सा नेक्सस कौन तोड़ रहा है, कौन कौन लोग हैं, किन किन के नाम हैं, कितने भंयकर भ्रष्टाचार को घोटाले हैं, कौन कौन उसको कवर कर रहा है, इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के भ्रष्टाचार का जिक्र करना मैं समझता हूं कि यह तो बेशर्मी की इंतेहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका उल्लेख करते रहना, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत चीज है। क्या आप या यह शुरू कर सकते हैं कि जो डिस्क्रीशनरी पावर्स हैं उनको खत्म किया जाए—मिनिस्टर्स की भी और नौकरशाहों की भी। मिनिस्टर्स को जहां कहीं पर परमिशन मिली डिस्क्रीशनरी पावर्स की उन्होंने बेइन्तिहा भ्रष्टाचार से उसका उपयोग किया। मकान देने की पावर मिली तो 20-20, 30-30, 50-50 हजार एक एक मकान में लिए। पेट्रोल पंपों की पावर मिली तो पेट्रोल पंपों के बारे में कोर्ट्स के अंदर सारे मामले आ रहे हैं। 60-60 लाख के जुर्माने हो रहे हैं। यह पावर मिली कि कालेजों में, मेडिकल कालेजों में दाखिला दे दो तो उसके अंदर रिश्वत का सवाल आ रहा है। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स के नाम उसमें आ रहे हैं। यह आया कि सेंट्रल स्कूल में दो आदमी दाखिल कर लो—हर एक के लिए—तो उसके अंदर 5 हजार, 10 हजार स्पेशल कोटे से दाखिल कर लिए। हम क्यों नहीं डिस्क्रीशनरी पावर्स खत्म कर देते। आप मिनिस्टर्स से शुरू करिए। फिर शुरू करिए सारे ब्यूरोक्रेट्स से। किसी को कोई डिस्क्रीशनरी पावर नहीं होगी। सब मेरिट पर होगा। हर एक को लाटरी डालकर कर दीजिए। मेरिट पर कर दीजिए। देखिए आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ...**(व्यवधान)** जी हां, मैं वह भी शुरू कर रहा हूं। आई एम गोइंग टु से दैट ...**(व्यवधान)**

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION
AND THE MINISTER OF INFORMATION
AND BROADCASTING (SHRI CM.
IBRAHIM. There is no discretionary quota.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : I know that the discretionary quota is there everywhere. अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह क्यों रखा हुआ है

आपने। मैं मेम्बर्स से ही शुरू करता हूं। आपने क्यों रखा है गैस के कूपन का मेम्बर्स का कोटा। प्लीज फिनिश इट। मैं आपसे जोर से कहना चाहता हूं। चार हजार रुपए हैं एक गैस के कोटे का यह मैं आपकी बताऊं। कितने हजार कोटे दिए हैं। गैस के पहले मिनिस्टर्स ने। मुझे नहीं मालूम कि अब मिनिस्टर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। परंतु दस-दस, बीस-बीस हजार गैस के कनेक्शन दे दिए। जिसको चाहा उसको बांट दिया। उसके अंदर रिश्वत हो रही है। चार हजार रुपए का एक है। एक आपने कर दिया है कि चार हजार रुपए दो और अभी ले जाओ और इसके अंदर आप पावर दे देते हैं वैसे एक मेम्बर को है ही क्या। आठ ही तो है एक महीने में, दो टेलीफोन के हैं। अब यह जो कोटा बनता है, यह डिस्क्रीशनरी पावर यहां से शुरू होती है। यहां से आठ और दो होती हैं फिर मेम्बर को कहा कि तुम दो आदमी सेंट्रल स्कूल में दाखिल कर लो लेकिन मिनिस्टर ने कर दिए दस हजार। यहां कह दिया आठ दे दो महीने सेंट्रल स्कूल में दाखिल कर लो लेकिन मिनिस्टर ने कर दिए दस हजार। जहां कह दिया आठ दे दो महीने में गैस के कूपन और खुद दे दिए दस-पन्द्रह हजार गैस के कूपन महीने में। जिसकी चाहा बांटा दिया मेम्बरों को भी दे रहे हैं वे भी दे रहे हैं। तो यह डिस्क्रीशनरी कोटा जब तक खत्म नहीं होगा और इसका हिसाब नहीं रखा जाएगा तब तक इसके अंदर कर्प्शन होगा। स्टार्ट विद इट। इसके शुरू करो। अगर आप इससे शुरू करेंगे उसमें से इसकी हटाएंगे तो मैं समझता हूं कि काफी चीजें इसके अंदर सुलझ सकती हैं।

महोदय, इलेक्ट्रोरल रिफार्म्स के बारे में इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। इस गवर्नमेंट के दिमाग पर कोई बोझ ही नहीं है कि इलेक्ट्रोरल रिफार्म्स करने है कि नहीं करने हैं। यह भी बात 30 साल से हो रही है। बीसियों मीटिंगें मैं अटेंड कर चुका हूं। हमारे सभी लोग कर चुके हैं। हर बार आता है कि यह करना है, यह करना है। 1986 में एक बार बिल आया था कि डीलिटिमिटेशन करना है। पार्लियामेंट और असेम्बली की सीटों के डीलिटिमिटेशन के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। कमीशन ही नहीं बनाया किसी ने। यह ठीक है कि कहा था कि सन् 2001 के बाद बनाएंगे और उसके बाद यह हुआ कि बाकी सीटें उतनी रखते हुए बाकी डीलिटिमिटेशन तो किया जाए। कोई सीट हो गयी है 30 लाख वोट की और कोई सीट है 3 लाख वोट की। है बराबरी—एक सीट 3 लाख की और एक सीट 30 लाख वोट की। दस सीटें एक तरफ और एक सीट एक तरफ। ऐसा बहुत सी जगहों पर हो गया है। उसकी वजह से डीलिटिमिटेशन बहुत जरूरी है। उसका कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट फंडिंग के बारे में कोई फैसला नहीं है कि गवर्नमेंट फंडिंग का क्या करना है। क्या गवर्नमेंट फंडिंग हमें करनी है कि नहीं करनी है। करनी है तो किस

हद तक करनी हैं। लोगों का रुपया बेइन्तिहा खर्च होता है और उसकी वजह से ब्लैक मनी जनरेट होती है। उसमें ब्लैक मनी लगती है। कोई उसको रोकने का सवाल नहीं है।

दो सौ करोड़ रुपए की इलेक्ट्रानिक मशीनें मंगाकर रखी हुई हैं। दो सौ करोड़ की इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें सड़ रही हैं। उनको जंग लग रहा है, खराब हो रही हैं। पता नहीं अब ठीक भी हैं कि नहीं। वन थर्ड मंगा ली और टू थर्ड का सोच ही नहीं है—तय करने के बाद भी, सब पार्टियां, आल पार्टीज एग्रीड आन इट कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग होनी चाहिए। उससे काउंटिंग हो जाती है। उससे सब चीजें बचती हैं गड़बड़ होती हैं, बाकी सब होता है यह सब नहीं हो सकेगा। पर दो सौ करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें जंग खा रही हैं और तक अभी तक इलेक्ट्रानिक वोटिंग का कोई सिस्टम ही शुरू नहीं हुआ है। शायद दुनिया में हिन्दुस्तान रह गया है नहीं तो बाकी सारी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन होता है और थोड़ी देर के बाद रिजल्ट पता लग जाते हैं। परन्तु यहां तो काउंटिंग पर जो हालत होती है और बूथ कैप्चरिंग होती है क्योंकि कुछ लोगों को वह सूट करता है, इसलिए इसका मामला लटकाया हुआ है। आइडेंटिटी कार्ड का मामला लटकाया हुआ है। तो यह कंप्रीहेंसिव इलैक्टोरल रिफार्म्स बहुत दिनों से, पता नहीं 30 साल हो गए हैं, इसको भी देखते हुए इसके बारे में भी कोई कदम नहीं उठाया। गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, इलैक्टोरल रिफार्म्स को बहुत जल्दी करने की बहुत सख्त इसमें जरूरत है यह बात मैं इसमें कहना चाहता हूं। महोदय, इसमें सुरक्षा के बारे में जिफ्र हैं और यह कहा गया है सुरक्षा के लिए हम कदम उठा रहे हैं। हम हथियार लायेंगे, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। परन्तु मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सी.टी.बी.टी. का कमला सिन्हा जी ने बहुत जिफ्र किया और यह कहा कि सी.टी.बी.टी. पर हमने दस्तखत नहीं किए और कभी नहीं करेंगे और देश ने सब ने मिल कर इसका यूनेनिमसली एप्रूव भी किया कि मत करिए दस्तखत, बिल्कुल ठीक है। पर सी.टी.बी.टी. को नेचुरल कोरोलरी क्या है? हम बैन ट्रीटी, कंप्रीहेंसिव बैन जो ट्रीटी है उसके दस्तखत नहीं कर रहे हैं। तो सीधा यह है न, यह कहते जाना आप्शन आपने रखेंगे, आप्शन ओपन रखेंगे। आप उस आप्शन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं न्यूक्लीयर पावर बनते? जिन देशों ने बना ली है, चीन ने बना ली है, उनके तो हैं ही और कहा जा रही है कि इस्राइल के पास भी हैं

और ईरान-ईरान वे भी बना रहे हैं, हम क्यों नहीं इसका उपयोग करते? हम सी.टी.बी.टी. पर तो साइन नहीं करेंगे और उसकी वजह से वह हार भी जायेंगे और उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस में कौंसिल के अन्दर अपनी सीट भी हार जायें, हम एक बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लेंगे। परन्तु स्टैंड का क्या फायदा अगर आपने स्टैंड तो ले लिया पर उसके बाद उस न्यूक्लीयर आप्शन का इस्तेमाल नहीं किया। हम बना सकते हैं यह भी कहा जाता है। तो बनाते क्यों नहीं हैं?

श्रीमती कमला सिन्हा : पीसफुल परपज के लिए बनायेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जी हां, इसके लिए भी बनायें। वह तो सब दुनिया ने पीसफुल परपज के लिए बनाया था। बाकियों ने भी कोई लड़ाई के लिए नहीं बनाया था सबने पीसफुल परपज के लिए बनाया था और हम भी पीसफुल परपज के लिए बनायेंगे। परन्तु पीसफुल परपज के लिए बनाइये तो सही। बनायेंगे नहीं हम यही कहते रहेंगे कि हम नहीं बनायेंगे। कोई प्लान में, कोई पालिसी में और एक दिन जिस दिन हिम्मत से कहेंगे कि हां, हम अपनी न्यूक्लीयर आप्शन का उपयोग कर रहे हैं और बना रहे हैं। फिर दुनिया के सामने खड़े हों, फिर उसके जो परिणाम होंगे उसको सहन करने के लिए तैयार रखिए। हम उसके नेगेटिव प्वाइंट तो सारे ले रहे हैं, पर जो पाजिटिव हैं उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि इसको भी हमें बहुत जोर से करना चाहिए। कमला सिन्हा जी ने भी इसका जिफ्र किया है कि देखो हमने कितने संबंध बढ़ा दिए पाकिस्तान से, चीन से और बंगला देश से उसका पानी दे दिया है। आप अपने हितों को बेचते जाएं तो समझौते होंगे ही होंगे। आप बंगला देश को पानी दे दें बंगाल की कीमत पर, बिहार की कीमत पर, सारे बिहार में एजीटेशन हो रही है, बंगाल में एजीटेशन हो रही है। अपना सारा पानी निकाल कर दे दीजिए वे तो खुश होंगे ही, आपकी वाहवाह करेंगे ही और आप उनकी वाहवाह के लिए अपने देश को क्यों बर्बाद करते हैं? ...**(व्यवधान)** बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। आप जाकर देखिए कि बंगाल में कितनी एजीटेशन हो रही है। बंगाल में भारी एजीटेशन खड़ी हो रही है। कुछ दिनों में जब पानी नहीं मिलेगा वहां पर कलकत्ता पोर्ट पर तो आपको पता लगेगा और उस दिन आपको अंदाजा हो जाएगा। कि कितनी बड़ी गलती की है। आप कह रहे हैं बीस साल के बाद किया है। बीस साल तक ज्योति बसु ने उसको रोके रखा है इस बार प्रेशर में आ करके उसके आगे सरेंडर कर दिया। अगर आप जा करके चीज के साथ कोई बात ही नहीं करें, उससे अपनी जमीन लेने की बात न करें,

उसको सहूलियत दे दें तो वह चाहता हैं तो क्यों नहीं आपकी वाहवाह करेंगे। यह कौन से समझौते उसमें से पूरे हो रहे हैं ? और पाकिस्तान, पाकिस्तान से आपने कहा हैं कि बात कर रहे हैं। आप करें, जरूर करनी चाहिए परन्तु पाकिस्तान के बातचीत में यह सवाल कभी उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा कि आई.एस.आई. क्या कर रहा हैं ? हिन्दुस्तान में आई.एस.आई. के बारे में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, वहां कश्मीर का गवर्नर सब कह हैं कि आई.एस.आई. यह कर रहा हैं, आई.एस.आई. यह कर रहा हैं आई.एस.आई. देश के अंदर अड्डे बना रहा हैं। आई.एस.आई. सारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा हैं। अभी आपने नार्थ-ईस्ट का जिक्र किया। नार्थ-ईस्ट में सब गड़बड़ कौन कर रहा हैं ? कहां जाते हैं नार्थ-ईस्ट के मारने वाले त्रिपुरा में मार करके कहां छिपते हैं ? बंगला देश में जाकर वे छिपते हैं। बंगला देश में उनके अड्डे हैं। आपकी अपनी होम मिनिस्टरी कंसल्टेटिव कमेटी की रिपोर्टों में कहा हैं कि वे बंगला देश में जाते हैं। अगर वे बंगला देश में छिपते हैं आपने बंगला देश से पानी का समझौता करने से पहले उनसे क्यों नहीं यह बात की हैं ?

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, I am on a point of order. I do not think it is correct to quote any Parliamentary Committee's report here. He referred to the report of the Consultative Committee.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो हाउस में आ गयी हैं, मैं तो उस का जिक्र कर रहा हूं जो हाउस में प्लेस कर दी गयी हैं, उस का जिक्र का रहा हूं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : वह तो अखबारों में आ रहा हैं। आप के नेता कह रहे हैं। यही पारदर्शिता हैं ?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, बांग्लादेश के साथ यह बात उठायी जानी चाहिए थी। सारे नार्थ-ईस्ट में जितना आतंकवाद हैं, जितने लोग मारे जा रहे हैं वहां पर इनफिल्ट्रेशन है, उस बारे में इस में कोई बात नहीं हैं। फिर आई.एस.आई. वाले सारे देश में अंदर हथियार भेज रहे हैं। दिल्ली में कितने पकड़े गए हैं, आप को अंदाजा हैं ? होम मिनिस्टर साहब होते तो बताता कि आप यहां के पुलिस कमिश्नर से पूछिए कि कहां-कहां पर अड्डे हैं ? नेपाल से कैसे उन का बेस हैं ? दिल्ली में जो बम फेंके गए हैं, उस में आई.एस.आई. का एजेंट पकड़ा गया और वह कबूल भी करते हैं कि हमें पाकिस्तान ने भेजा हैं। तो पाकिस्तानी आई.एस.आई.

जो अड्डे हैं, उस के चैलेंज को मीट करने के लिए कोई कदम हैं ? आई.एस.आई. के लिए देशभर में कोई ऐसा तरीका इस में निकाला गया हैं कि आई.एस.आई. को यह सब करने से रोका जाय। आई.एस.आई. जाली नोट चला रही हैं, जाली मुद्रा चला रही है और यह सब काम कर रही हैं। बांग्लादेश से कितने घुसपैठिए आए हैं ? तो क्या बांग्लादेश के घुसपैठियों के बारे में इस में कोई जिक्र हैं ? क्या वे आते ही चले जाएंगे ? डेढ़ करोड़ आ गए हैं तो क्या दो करोड़, ढाई करोड़ और आते चले जाएंगे। फिर गवर्नमेंट यह कह देगी कि हमारी बॉर्डर बड़ी वीक हैं। उस पर हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बांग्लादेश की मैत्री में क्या आप ने यह व्यवस्था कर ली हैं कि वहां पर बाड़ नहीं लगाएंगे ? वहां तारें नहीं लगाएंगे क्योंकि बांग्लादेश से आने-जाने पर आप कोई बाधा नहीं रखना चाहते ? तो लोग लाएंगे। हिन्दुस्तान को धर्मशाला बना रखा हैं। दो करोड़ और आ जाओ और यहां आकर सारे हिन्दुस्तान का कैरेक्टर बदलो। यहां आबादी का अनुपात बदल दो यहां पर सब चीज बदल दो। उस के लिए कोई कदम उठाए हैं आप ने ? महोदय, इन बातों के लिए इस के अंदर कोई कोशिश नहीं की गयी हैं। इस के अंदर उन बातों को समावेध नहीं किया गया हैं।

महोदय, यह जो फंडामेंटलिज्म हैं, यह बहुत खराब चीज हैं और इसे रोकना चाहिए। यह फंडामेंटलिज्म कहां पैदा होता हैं ? बहुत से मुस्लिम देशों ने मदरसों में जो फंडामेंटलिज्म होता हैं, उस पर रोक लगायी हैं। पाकिस्तान में भी यह है और कह गया हैं कि वहां पर बहुत दिक्कत पैदा हो रही हैं। वहां भी रोक लगायी हैं। अल्जीरिया में भी लगायी हैं, ईजिप्ट में भी लगायी हैं और बांग्लादेश में भी इस पर बड़ी चिंता प्रकट की गयी हैं। अब जैसे अफगानिस्तान के तालिबान हैं। उस के बारे में यहां बहुत कहा गया हैं कि तालिबान बहुत फंडामेंटलिज्म चला रहे हैं। काश्मीर के अंदर उन तालिबान की वजह से खतरा पैदा हो गया हैं। महोदय, तालिबान के अफगानिस्तान में जाने के बाद उन के पास बेंझतहा मनी-पावर हैं और दूसरी पावर हैं। अब काश्मीर के ऊपर उन की निगाहें हैं। ये तालिबान अगर काश्मीर के ऊपर निगाह रखेंगे तो यह एक बड़ा खतरा होगा। चूंकि वे अफगानिस्तान और उस के बॉर्डर पर अपने ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, अगर वहां इन-फिल्ट्रेट करेंगे तो यह बड़ा खतरा होगा।

महोदय, हिन्दुस्तान में भी ऐसे बहुत से मदरसे चल रहे हैं और यह हजारों-लाखों की तादाद में हैं। इस बात का फारूख साहब ने भी माना हैं। उन्हें गवर्नमेंट इमदाद दे रही हैं। नई स्कीम ला रही हैं कि शिक्षा के लिए पैसा देंगे। तो फंडामेंटलिज्म पैदा करने वाली इन ताकतों को रोकने की

जरूरत हैं नकि उन को इस तरीके से बढ़ाया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जिक्र हुआ भाषा का और उर्दू के बारे में उन्होंने कहा। महोदय, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी का बड़ा प्रभुत्व हो रहा है। हमारे यहां की जो परीक्षाएं हैं, जो हमारी कांप्यूटिव एक्जामिनेशंस हैं, अभी तक वह हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी का बड़ा प्रभुत्व हो रहा है। हमारे यहां की जो परीक्षाएं हैं, जो हमारी कांप्यूटिव एक्जामिनेशंस हैं, अभी तक वह हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से नहीं हो सकतीं। उस के लिए अभी भी अंग्रेजी की अनिवार्यता रखी गयी है। यह अंग्रेजी की अनिवार्यता रखी गयी है। यह अंग्रेजी की अनिवार्यता कब खत्म होगी? जितने लोग यूनिजन फ्रंट में हैं, यह वैसे तो ज्ञानी जैलसिंह के सत्याग्रह में शामिल हुए। ज्ञानी जैलसिंह ने सत्याग्रह किया तो इन में से बहुत से लोग वहां सत्याग्रह करने गए, किन्तु जब गवर्नमेंट में आ गए तो वहीं ढर्रा चल रहा है। उसी ढर्रे की चलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं को उन कांप्यूटिव परीक्षाओं में और सरकार के कामकाज की भाषा बनाया जाय। महोदय, यह जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है, अंग्रेजी का प्रभुत्व है, यदि इसे खत्म नहीं करेंगे तो हमारे यहां सारे देश में जो 3-4 परसेंट अंग्रेजीदां लोग हैं, उन्हें छोड़कर बाकी 96 परसेंट लोगों का सरकार की भागीदारी में कोई हाथ नहीं होगा।

4.00 P.M.

इस समय में एक ओर बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हम अपने स्लूडो सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश की बहुत सी बातों का विरोध करते जा रहे हैं। यह जो रामजन्म भूमि पर वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण होना है, उसके रास्ते अभी भी नहीं खोले जा रहे हैं। अगर बाद में धीरे-धीरे कभी जनमत इकट्ठा हुआ, देश में वह भावना फिर तेज हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि उसके रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको दूर करे ताकि रामजन्म भूमि पर विशाल मंदिर बनना शुरू हो। सरकार को उसके रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको दूर करे ताकि रामजन्म भूमि पर विशाल मंदिर बनना शुरू हो। सरकार को उसके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए बल्कि उसके निर्माण कार्य को पूरे तौर पर शुरू करने देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, खर्च का मैं जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि सरकार न इसका जिक्र किया था कि वह फिजूलखर्ची कम करेगी, लेकिन फिजूलखर्ची के नाम पर क्या हो रहा है? अभी प्लानिंग कमीशन ने कह दिया कि तीन लाख नौकरियां खतम कर दो, पहले यह कहा गया कि सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध है, यानि सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध और तीन लाख नौकरियां और खत्म सरकारी महकमों में और बाकी जगह तो छंटनी हो रही है। इधर आप मल्टीनेशनल्स ला रहे हैं, मल्टीनेशनल्स के आने के बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज

भी खतम हो रही हैं। इस तरह से तो देश में एक भयंकर बेरोजगारी फैलेगी। उस भयंकर बेरोजगारी की रोक के लिए सरकार की क्या नीति है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने अखबार में देखा कि इस सरकार की नीति यह है कि जो रिजर्वर्ड आइटम थी, काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को खत्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा एण्टी पूअर, एण्टी मिडिलमैन, एण्टी इंडियन कोई एक्अ नहीं हो सकता। जब आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कोई एक्अ नहीं हो सकता। जब आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज की सारी रिजर्व आइटम ही खत्म कर दें और यह कहें कि बिग बिजनेस आ जाएं या मल्टीनेशनल्स आ जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, तो कितनी भयंकर बेरोजगारी देश में होगी? कभी आपने अंदाजा लगाया? माचिस बनाने वाले, करोड़ों लोग बेकार होंगे क्योंकि यह रिजर्व आइटम है। इसी तरह जूता बनाने वाले, साबुन बनाने वाले, यह जा काटेज इंडस्ट्रीज है, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको आप खत्म कर लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। क्या इस सरकार की ऐसी नीति है, जिसकी घोषणा की गई है? मैं समझता हूँ कि सरकार रोजगार की बात की स्वीकार करे क्योंकि रोजगार नाम की कोई चीज इसमें नहीं है। इससे तो बेरोजगारी होंगी और उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं फिजूलखर्ची की बात कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पिछली गवर्नमेंट के बाद आपके मिनिस्ट्रों के दौरे कम हुए? उससे ज्यादा ही दौरे इन मिनिस्ट्रों के हुए हैं। दो दो जहाज जाते हैं, दो-दो इंजिन करते रहते हैं। करोड़ों रुपया खर्च होता है एक एक डेलीगेशन पर और डेलीगेशन पर डेलीगेशन जा रहे हैं। उतने ही डेलीगेशन जा रहे हैं, उतने ही ब्यूरोक्रेट जा रहे हैं, उतने ही अफसर जा रहे हैं। कोई फिजूलखर्ची एक रती भर भी नहीं। आप बताएं कि फिजूलखर्ची खत्म करने के लिए या बचत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? वही कोठियां हैं। उन्हीं कोठियों में उतने ही करोड़ों रुपया का सामान लग रहा है। आपका एक गवर्नर है, जो गवर्नर हाउस में हेलीपेड बनवा रहा है, आपके राष्ट्रपति के राज में बनवा रहा है। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार करोड़ रुपया खर्च करके बनवा रहा है। राष्ट्रपति भवन में तो हेलीपेड नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो हेलीपेड नहीं हैं। आपने कैसे अपने एक गवर्नर को ऐसी इजाजत दे दी, जो कि आपका रिप्रजेंटेटिव है वह हेलीपेड बनाए, वह सारा गोल्फ बनाए, वहां पर करोड़ों रुपया लगाए, साज-सज्जा पर ही लाखों, करोड़ों रुपया खर्च कर दे? क्या यह राजा-महाराजाओं से भी बड़े हो गए हैं? कौन सा सिस्टम आपने बदला है? कोई आपने इसमें बदल नहीं किया है बल्कि उससे ज्यादा फिजूलखर्ची की है। मैं उसके बारे में

कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहता। यह जो 26 जनवरी को परेड निकलती है। इसके बारे में सोचना चाहिए। इस पर 400/500 करोड़ रुपया करीब खर्च होता है, एक महीना पहले यह कामकाल बन्द हो जाता है, दफ्तर दस दिन तक नहीं शुरू होते। क्या यह जरूरी है कि इसी तरीके से इसको मनाया जाए? उसके अंदर इतना बस किया जाए? उसका कोई और भी तरीका हो सकता है, जो ठीक भी हो, प्रभावी भी हो। हर साल वही परेड, वही सब कुछ वहीं उस पर सब खर्चा, वहीं ठेकेदार पैसे खाता है, महीनों उसका काम चला रहता है। इस पर विचार होना चाहिए कि कैसे उसका खर्चा बचाया जा सकता है।

महोदय, हमारे साथी पढ़ रहे थे कि सिस्टम बदलना चाहिए, आदमी तो बदल गए, सरकार तो बदल गई। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं बल्कि होता यह है, जैसे कि एक कहानी है कि मरते हुए एक आदमी ने अपने बेटे से कहा कि कुछ ऐसा काम करना, जिससे लोग मुझे याद करें। वह बड़ा जालिम था, बड़ा अत्याचारी था। बेटे ने इतना ज्यादा जुल्म किया, इतना ज्यादा अत्याचार किया कि लोग कहने लगे कि इससे तो इसका बाप ही अच्छा था। कई बार लगता है कि शायद यही कहना पड़े कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसकी ज्यादा चीजें इससे याद आने लगती हैं, हालांकि वह भी बहुत ही निकम्मी, करप्ट और सब तरह की थी।

परन्तु कोई सिस्टम, परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं है और इसीलिए आप जो-जो चीजें करते जा रहे हैं, अगर उसी रास्ते पर चलना है तो फिर परिवर्तन का क्या फायदा है। वैसे तो आप बहुत थोड़े दिन के मेहमान हैं।

इसीलिए आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार की जो स्थिति है, एक कवि ने इसको लिखा है

पंछी यह समझते हैं चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है,

शमशान की खामोशी मगर कहती है,

हे लाश वही, मगर कफन बदला है।

श्री सी. एम. इब्राहिम : कफन में भी बहुत फर्क होता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The next speaker is Shri Pranab Mukherjee. Before he commences his speech, I would like to inform the House that the hon. Prime Minister is expected to make a statement regarding the fire at Baripada in Orissa at about 4.15 p.m. You may start your speech, but when he comes....

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Yes, when he comes, I will sit down and he can make his statement. There is no problem.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the President's address at the beginning of the Session of the Parliament indicates the policies of the Government and also the programmes, which the Government of the day wants to pursue.

Sir, if you glance through the text of the Address delivered by the hon. President to the Joint Session of the Parliament, you will find that he has discussed in a little detail the state of the economy. In paragraph 11 to paragraph 28, he has dealt with economic issues. In paragraph 37 to 49, he has dealt with the foreign policy of the Government. In the later part of his Address he has also indicated the proposed legislations, which the Members of Parliament are to enact during the current session. This document constitutionally is prepared by the Cabinet and it reflects the policies of the Government. Therefore, the President has no individual role or initiative in it.

First, I would like to deal with the economic aspects of the Address, where the President has indicated the Government's policies in certain broad categories like the Plan, foreign investments, infrastructures and certain other related issues.

It is true the full Plan document is not available to us, but the Approach Paper is available to us. The Approach Paper was approved by the NDC on 16th January, 1997 and I do not mind if the President is wrongly advised in suggesting that the Planning Commission completed the Approach document in a record time. The Planning Commission was constituted sometime in July and it submitted the Approach Paper to the NDC on 16th of January, which approved it. It was not in a record time. Almost every Plan Approach document has been finalised in six to seven months and they have also taken six to seven months. That is not a record time. But, that is just a minor point. The point is that certain basic issues, which have been raised in the Approach document, are debatable. The total investment outlay, as per the Approach Paper, during the Ninth Plan, would be Rs. 21,90,000 crores at the 1995-96 price level.

In terms of percentage, it would be 28.6 per cent of the GDP. The moot question is wherefrom these resources would come. The Planning Commission in its Approach Paper has indicated that 28.6 per cent. The investment would come from the internal sources, to the extent of 26.2 per cent and external sources 2.4 per cent of the GDP. I have some serious doubts about the viability of the system and particularly the way the Government is going to assume 26.2 per cent domestic savings. There are three components of the basket of savings the household sector is 18.9 per cent, the Government sector which is a dissaver is minus 1 per cent and the public sector is 3.8 per cent, the private corporate sector is 4.5 per cent. Now, let us take the case of the Government sector. During the Eighth Plan, the dissavings of the Government sector were minus 1.9 per cent. The Planning Commission is expecting that the Government's dissavings would be minus 1 per cent of the GDP. That expectation has also been reflected in the Economic Survey. But what is the trend? Only yesterday we have increased the subsidy. I would not like to go into the merit of that. Let us not go into the merit of that issue. But the hard cold fact is that yesterday by one decision Govt. has increased the subsidy to the extent of Rs. 2,400 crores. Today, in reply to a question the Finance Minister indicated that the excise duties for the first ten months would be Rs. 36,000 crores. Sir, I have some experience in dealing with the Ministry of Finance. For almost eight years I spent my time as Minister in the Department of Revenue, Ministry of Finance at different stages. There is a formula of computing the excise duty. It is correlated with the industrial growth, particularly with the manufacturing sectors. The normal computation is that, if there be 1 per cent growth in the industrial production, there would be 0.8 per cent growth in the excise revenue. All the calculations in the Budget last June was on the basis of 12 to 14 per cent industrial growth. The excise growth duty was computed at 14 per cent. That is why it was fixed at a figure of Rs. 46889 crores. Now, we are told that in the first ten months it would be Rs. 36,000 crores. I am afraid by any stretch of imagination we cannot expect that excise duty would reach the figure of Rs. 46/47 thousand crores. I am giving only these two figures to

indicate that on the one side the Government's expenditure is increasing and on the other side, the Government's own resources are coming down.

Now, let us go back to the global figure for the current year. The total Government receipts, tax and non-tax receipts... *(Interruptions)*... Mr. Vice-Chairman, may I have your attention?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Yes. Please go ahead.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : The total Government receipts, tax and non-tax receipts, gross receipts, including tax and non-tax revenue was Rs. 1,32,000 crores for the year 1996-97. The interest repayment was Rs. 62,266 crores. The principal repayment was Rs. 66,000 crores. Therefore, the Government's debt liability in one year is Rs. 1,28,000 crores against the Government's own resources, including tax and non-tax, of Rs. 1,32,000 crores.

In other words, if the Government of India decided to discharge its total responsibility, debt responsibility, then for 365 days, it was left with Rs. 4000 crores whereas the expenditure of the Government of India everyday is more than 560 crores. Therefore, in that situation, you have to decide whether the Government would be able to contribute and consign its negative contribution to the savings basket by minus one per cent of the GDP for the next five years. I am not talking on any hypothetical basis. I am talking on the basis of the way things are moving. This is one area. Of course, we will get an opportunity when the Budget will be presented and final Plan documents or even the Approach Paper will be discussed.

We want a seven per cent growth rate; by all means. We want a 8-9 per cent growth. If we want to eradicate poverty, if we want to eradicate illiteracy, if we want to create a job for everybody, we have to double our national income. There is no denial of that fact. But the question is whether we have the capacity. The President, in his Address, has indicated—and it has been pointed out in the Common Minimum Programme—that we should get 10 billion U.S. dollars, we should prepare ourselves to build up the infrastructure and the country should be in a position to receive an average of 10 billion dollars of Foreign Direct

Investment from abroad. Very well. If we could get 15 billion dollars, I would have been happier. But what is the ground reality, Mr. Vice-Chairman?

From the World Investment Report of 1996, we find the total amount of investible resources available for the year 1996 was 315 billion US dollars. I made a very simple calculation. The total Foreign Direct Investment for the year 1996 was 315 billion US dollars; 64.5 per cent of this money was invested in the G-10 countries—earlier they were called the G-7 countries—the industrialised countries. We do not come within that. That means an amount of 205 billion US dollars was for the industrialised countries. We were left with 110 billion US dollars out of the 315 billion US dollars. Then, 31.66 per cent was for the developing countries. In absolute terms, it is roughly 96 billion US dollars. But there is a catch. Of these 96 billion US dollars, 73 per cent was directed towards China and 'Asian Tigers'. Therefore, for the rest of the whole world, including us will be left with 38 billion US dollars. I am not talking of desirability. I am not talking of the merit. I am not talking of the requirement. I am talking of the possibility because we have to make plans. We cannot make our plans on some unrealistic assumptions. I am talking of the ground reality. Are we going to have 10 billion US dollars? We are talking of the infrastructure. Very correctly, the President has drawn our attention to the fact that we must provide the necessary infrastructure.

There is no denial of the fact that during the Eighth Plan, we were far short of the target power generation because we did not have the money. First, the target was 36,000 megawatts. Then it was reduced to 28,000 megawatts. But we were not able to add more than 18,000 megawatts. Now, if we want to avert that type of power crisis, then two assumptions have been made by the experts. At the level of 63 per cent plant load factor, the additional capacity generation requirement would be about 46,000 megawatts. And these are, most of them are, already approved and 14,000 megawatts are approved in the private sector by the CEA. The States, the Centre and the Union Territories, taken together, would have to generate roughly

32,000 megawatts. What are the costs? If I assume that Rs. 5 crores per megawatt is the cost, then financial requirement is Rs. 160,000 crores and an additional Rs. 70,000 crores could be required for the private sector. Taken together, it would be Rs. 2,30,000 crores for the next five years.

From where will these resources come? The resources are surely not going to be generated either by words or by intentions or by pious hopes. These are to be generated by hard decisions. The President's Address should be an indication of the Government's decisions, programmes and determination, and not an essay, not a collection of the comments or views.

In paragraph 18 of the President's Address, an indication has been given about the Oil Pool Account. All of us know that by the end of the year, on 31st March, 1997, the deficit in the Oil Pool Account is going to be Rs. 15,500 crores. What is the point of sharing this information with the country? The Government of the day should have come out with a programme as to what they are going to do. You cannot run away by saying that in our system, first everybody will request you to increase the price and then you will do it. It is not possible. The Government will have to take a decision or they will have to say: "No, we are not going to do it." We have got three signals from very senior representatives of the Government. One signal is that they are going to bridge this gap by borrowings. Another signal is that, "No, we have to enhance the price." And on the enhancement of the price, there are different signals. There may be differences. There may be opposition. But it is incumbent on the Government of the day to decide because they are to run the Government, not the Opposition. They are to run the Government. I know when I signed the World Trade Agreement, what type of opposition I had to face from this House. But I had to do it, however unpopular the decision was, because the Government of the day thought that it was to be done according to their judgment and the people might not agree with their judgment. They might disagree with their views. But the decision was to be taken. Even today, I stand by that though this House had rejected that. If we want to avoid a very serious crisis in the World Trade Organisation

and the international trade, we must pass the amendment of patent laws which we introduced, which was passed in Lok Sabha but which was rejected by Rajya Sabha, The sword of damocles is hanging on our head. But We cannot keep it under carpet any longer. The United States of America has lodged a formal complaint and the two months' period of consultation was over. The Disputes Settlement Mechanism is in motion. The European Union has become a co-complainant. What is the implication of all this? The implication of it is that if they take a retaliatory measure, it is going to affect 49 per cent of our export. Yesterday, the Commerce Minister was informing us that our export should not go beyond 35 billion dollars export growth has declined. Dr. Alag is present here. The Planning Commission has projected that in this Plan, we would like to have external support to the extent of 2.4 per cent of the G.D.P., against 1.6 per cent during the 8th plan I was a bit conservative I did not think that we should go beyond 1.6 per cent of G.I.P., in absolute terms, 22 billion U.S. dollars at the price level of 1991. Of course, the Plan size was much shorter. But there is a necessity for remaining alert on BOP. Are we going to invite another type of a serious BOP problem because 19 billion dollars reserves are there? If we look at the nature of this type of resources we found they are not enough. Therefore, certain hard decisions are to be taken, and I am afraid, Sir, the President's Address does not reflect those hard decisions. I do not know whether at the time of Budget or at the time of replying to the debate, the Prime Minister would indicate these things. These are some of the issues on economic matters which I thought I should bring, through you, to the notice of the Government.

I would like to comment on another aspect. In paragraph 7 of the President's Address, while speaking on the responsive and responsible Government, a sentence has been added. To increase transparency and accountability in administration at all levels, the Government has initiated a national debate on effective and responsive administration." Very well. We want an effective and responsive administration. How do we have an effective and responsive administration?

What are the major problems in our electoral system today? Mr. Malhotra was pointing out one type of distortions; that is, in some constituencies the numerical strength of the electorate huge; particularly in Delhi, there is one constituency which is having a huge electorate; I do not know whether it is 30 lakhs or so, but a huge electorate is there, and in another constituency it is less. But these are normal exceptions. In the last elections the total number of voters was 640 million. The numerical strength of the elected members for the 11th Lok Sabha was 543 million. Therefore, the average comes to about 1.2 million or 12 lakhs. Mr. Vice-Chairman, all of us are political activists. If one has to write a letter or a postcard to 12 lakh voters, how much would it cost, apart from the postage, stamping costs? After all, I cannot write 12 lakh letters. I will have to get them printed. So, printing costs are also there. If you simply take one item, the question that remains to be seen is how you are going to adjust it? Delimitation? If we increase the strength, — yes, we can raise it from 540 to 1,080 — there is no harm. But can we have an effective deliberation in any system with 1,080 members participating in it? Sometimes, we find that even for 540 or 240, the time is not enough or adequate. Should we think of adding something more to that? And here comes a question, if we want to really have an effective, meaningful debate at a national level—at some point of time I do feel that there should be a debate — whether the system which we are now having, the system which was formulated 50 years ago—our Constituent Assembly started functioning in 1946 and completed their job in 1949 and a new Constitution came into existence on 26th January, 1950; what was the total population then? It was 350 million; that was the total population in 1950. Is it possible for a system or an instrument, which was expected to cater to the needs of 350 or 400 or 500 million people, to cater to the needs of almost double that number, and which is also going to be much more? Even if we assume the targeted growth of the population as 14 per thousand, the gross population growth which is very ideal—presently it is 22 per thousand— even if we assume the targeted ideal growth rate, even then, in the next 20 or 30 years there would be a population explosion. Every year,

we are adding one Australia to our total population. Therefore, in this situation, perhaps it requires a much more serious thinking. Can we talk of a more powerful Gram Sabha than the Lok Sabha? We have come a long distance from this concept. Whatever institutional changes we have brought in, we have to assess whether we can make them more effective. Take the case of Panchayati Raj or Nagar Palikas. We have now amended the Constitution. We have introduced it. How do we make it effective? Perhaps, we could make it effective if Constitutionally we ensure that laws are not left to be made by the States themselves.

At some point of time, this House itself rejected the amending laws and I don't think that the Government should come out with any half-baked proposals or should try to impose something. But let there be a debate on whether we could convert India's 5,000 administrative blocks into block parliaments; whether we can think of having block republics and transferring the entire developmental works, including civil, judicial and local administration and education to them. Of course, it will call for making structural changes in the Constitution. The monumental judgment given by the Supreme Court in the *Keshavananda Bharati* case Golaknath case and all other incidental matters will stand in the way of that process. But after all, Constitution is a document meant for the betterment of the people and if that instrument is found ineffective, I don't think that there can be any controversy in having a rethinking on this and in making the changes. I do feel that a serious debate and discussion should take place for that purpose. Bringing a Lok Pal Bill or having some changes in the existing arrangements alone is not going to help us much. ...*(Interruptions)*... As I told you, Mr. Vice-Chairman, the Prime Minister is expected to make a statement. I am not finishing my speech. I will continue my speech. After the hon. Prime Minister made his statement, I think you would allow me to resume my observations.

(The Deputy Chairman *in the Chair*)

STATEMENT BY PRIME MINISTER

Tragic death of devotees in a fire accident at Bariapada in Orissa

THE PRIME MINISTER (SHRI H.D.
DEVE GOWDA): Madam Deputy Chairman,

I

would like to inform Hon'ble Members about my visit to Bariapada yesterday, February 24, to the site of the ghastly tragedy by fire which broke out on February 23, 1997.

The facts about the incident are as follows:

About 10,000 devotees had assembled at Madhuban in the Bariapada Municipality of Mayurbhanj District, for a religious gathering which began on February 21, 1997 and was to conclude on February 23. On the February 23 a devastating fire suddenly broke out at the site at 3.15 in the afternoon. It has been informed by the State Government that the fire brigade was immediately pressed into service, and while the women's camp-site could be protected, the fire spread through the men's camp site and 149 persons died on the spot. Another 175 persons were injured and were admitted to the local hospital and to nursing homes. Of the injured persons, 28 have succumbed to their injuries.

Immediately after the accident, the local administration deployed 43 doctors to attend to the injured. Local voluntary organisations, businessmen and political workers also joined the rescue efforts. A team of medical experts and para-medical staff from the Medical College, Cuttack have also reached Bariapada.

The process of identification of the deceased is on and their relatives and acquaintances are coming for identification.

I would like to inform the Hon'ble Members that the Central Government is going to release rupees 50,000 to the families of the deceased and to those persons who have been disabled permanently. For others who have been injured, the Central Government would provide Rs. 25,000.

The State Government has also announced financial relief of rupees 25,000 to the next of kin of the deceased and rupees 10,000 to each of those injured.

I have also requested the Chief Minister to make efforts to have the deceased identified precisely so that the assistance being given reaches the right persons. Given the difficult situation, the local authorities and the State Government are making the best possible efforts to deal with it.

I have been informed that the State Government has instituted an Enquiry into the